

विषय सूची

भाग - क

	पृष्ठ संख्या
परिचय	1
I. किसान	6
II. ग्रामीण आबादी	8
III. युवा	10
IV. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग	11
V. अवसंरचना	13
VI. वित्तीय क्षेत्र	16
VII. डिजिटल अर्थव्यवस्था	18
VIII. सार्वजनिक सेवा	20
IX. विवेकपूर्ण राजको-ीय प्रबंधन	21

भाग - ख

सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय	24
विकास की गति को प्रेरित करने वाले उपाय	25
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना	26
चुनावी वित्तपो-ण में पारदर्शिता	27
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस	27
व्यक्तिगत आय कर	28
वस्तु एवं सेवा कर	29
रैपिड	30
नि-क-र्फ	30

अनुबंध

भाग - क के अनुबंध

अनुबंध-I	वित्तीय क्षेत्र में अन्य उपाय	31
अनुबंध-II क	महत्वपूर्ण मंत्रालयों, क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आबंटन	32
अनुबंध-II ख	महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आबंटन	34
अनुबंध-II ग	राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित संसाधन	36

भाग - ख का अनुबंध - III

प्रत्यक्ष कर	37
अप्रत्यक्ष कर	45

बजट 2017-2018

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

1 फरवरी, 2017

अध्यक्ष महोदया,

वसंत पंचमी के इस पावन दिवस पर मैं वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। वसंत ऋतु जन-मन को आशा एवं उल्लास से परिपूर्ण कर देने वाली ऋतु है। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ।

2. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने हमें चुना है। जनता की असंख्य उम्मीदों में से एक सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि जनता हमसे एक अच्छे शासन की उम्मीद करती है। जनता की उम्मीदों में मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि, रोजाना के कामों में भ्रष्टाचार और निरंतर साथ चलने वाले पूंजीवाद की मार जैसी कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं से जनता को राहत पहुंचाना शामिल है। जनता हमसे देश के प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित किए जाने, उन्हें इस्तेमाल में लाए जाने के लिए तैयार करने तथा इस्तेमाल में लाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके में भी बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद कर रही थी।

3. पिछले ढाई वर्षों से हम अपने देश की शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे थे। हमने

- स्व-निर्णय पर आधारित प्रशासन के स्थान पर नीति एवं व्यवस्था आधारित प्रशासन को अपनाया है;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपात के स्थान पर पारदर्शिता को तरजीह दी है;
- एक विस्तृत और गैर-जिम्मेदार हकदारी के बजाय पूरी तरह निर्धारित सुपुर्दगी व्यवस्था को अपनाया है; और
- अनौपचारिक अर्थतंत्र के बजाय एक औपचारिक व्यवस्था को अपनाया है।

मुद्रास्फीति, जो एक लम्बे समय से दो अंकों में बनी हुई थी, को काबू में कर लिया गया है; विकास की मंद गति की जगह तीव्र विकास की गति ने ले ली है; और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी गई है। हमने इन सभी मोर्चों पर बिना थके काम किया है और हमें इस रास्ते पर आगे चलने में लोगों का भरपूर समर्थन मिला है जिससे हम प्रोत्साहित हुए हैं। सरकार को अब जनता के धन के एक विश्वासपात्र अभिरक्षक के रूप में देखा जाने लगा है। मैं इस अवसर पर भारत की जनता द्वारा हमारी सरकार को दिए गए भरपूर समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

4. हम बहुत से अन्य उपायों को करना भी जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ किसानों, कामगारों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं एवं समाज के दूसरे कमजोर तबकों तक पहुंच सकें। हमारा विशेष ध्यान अपने युवाओं में शक्ति का संचार करने पर होगा ताकि वे विकास एवं रोजगार के लाभों को प्राप्त कर सकें।

5. अध्यक्ष महोदया, मैं यह बजट ऐसे समय पर प्रस्तुत कर रहा हूँ जबकि पिछले एक वर्ष के दौरान दुनिया भर में बड़ी आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिनके कारण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016 में 3.1% की और वर्ष 2017 में 3.4% की वृद्धि होगी। उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की दर **1.6% से 1.9%** के बीच और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में **4.1% से 4.5%** के बीच होने की आशा है। मौजूदा संकेतकों के अनुसार, कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में बृहत आर्थिक नीति के अधिक विस्तृत रूप में होने की आशा है। वर्ष 2016 में तुलनात्मक रूप से निम्न प्रदर्शन के बाद अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की गति के वर्ष 2017 में फिर से पटरी पर आ जाने की आशा है। ये सब बातें आगामी वर्ष के लिए भरपूर संभावनाएं प्रस्तुत करने वाले सकारात्मक संकेत हैं।

6. तथापि, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। **पहली**, अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई मौजूदा आर्थिक नीतिगत व्यवस्था, जिसमें इसने वर्ष 2017 में नीति दरों में एक से अधिक बार वृद्धि करने की मंशा जाहिर की है, के कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी के अंतर्वाह में कमी आएगी और पूंजी के देश से बाहर जाने की गति तेज होगी। **दूसरी**, वस्तुओं के मूल्य और विशेषकर कच्चे तेल के मूल्यों में अनिश्चितता बनी रहने के कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की राजकोषीय स्थिति प्रभावित हुई है। तथापि, उम्मीद है कि यदि इसमें कोई वृद्धि होती है तो शेल गैस और तेल उत्पादकों की तत्काल प्रतिक्रिया के कारण तेल के मूल्य प्रभावित होंगे। इससे कच्चे तेल और पेट्रोलियम के मूल्यों में कमी आएगी। **तीसरी**, विश्व के अनेक हिस्सों में संरक्षणवाद के लिए दबाव में निरंतर वृद्धि होने के कारण वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों के वैश्वीकरण से दूर जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाक्रमों के कारण भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

7. इन सभी घटनाओं के बीच भारत विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक चमकते हुए सितारे के समान खड़ा है। भारत की बृहत आर्थिक स्थिरता इसकी आर्थिक सफलता का आधार बना हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई, 2016 में **6%** से घटकर दिसम्बर, 2016 में **3.4%** रह गई है और

इसके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित 2% से 6% की रेंज के भीतर बने रहने की आशा है। अनुकूल मूल्य स्थितियां विवेकसम्मत बृहत आर्थिक प्रबंधन को दर्शाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन और विशेषकर दालों के उत्पादन में तेजी आई है। भारत का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% से घटकर वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% रह गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की पहली छमाही के **₹1,07,000 करोड़** से बढ़कर वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में **₹1,45,000 करोड़** हो गया है। इससे वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह में 5% की कमी आने के बावजूद हमारे देश में 36% की वृद्धि दिखाई देती है। 20 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, जो लगभग 12 महीनों तक आयात के लिए एक आसान कवर निरूपित करता है।

8. सरकार अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश संबंधी जरूरतों से समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। विदेशी मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने एफसीएनआर जमाराशियों की निकासी, अमरीकी चुनावों के कारण बनी अस्थिरता की स्थिति, तथा फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने सहित अनेक आघातों को सफलतापूर्वक सहन किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाए गए एक पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत के एक तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की आशा है।

9. पिछले दो वर्षों के दौरान जारी अनेक वैश्विक रिपोर्टों और मूल्यांकनों से यह ज्ञात होता है कि भारत ने अपनी नीतियों, पद्धतियों एवं आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। विश्व बैंक की 'डूईंग बिजनेस रिपोर्ट'; अंकटाड की 'वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2016'; वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2015-16 और 2016-17 की 'ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस रिपोर्ट'; और अनेक अन्य रिपोर्टों से इस बात का पता चलता है। भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विनिर्माणकारी देश बन गया है, पहले यह नौवें स्थान पर था। अब हमारे देश को वैश्विक विकास के प्रेरक के रूप में देखा जाने लगा है।

10. पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक एवं प्रभावपूर्ण आर्थिक सुधार एवं नीतिगत निर्णय किए गए हैं। वास्तव में, भारत रूपांतरणकारी सुधार कार्यों को करने वाले बहुत थोड़े देशों के समूह में शामिल था। दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल अर्थात् जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित कराना और संसद में इसे लागू किए जाने की दिशा में कार्य करना; तथा उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण। विकास की गति में तेजी लाने, प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष कर को सरल बनाने तथा इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के संदर्भ में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी के लाभों पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है। मैं संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए दोनों सदनों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं संबंधित सभी समस्याओं को जीएसटी कौंसिल में समाधान कराने के लिए राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देता हूं।

11. उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण गत दो वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों में शामिल है। यह एक साहसिक एवं निर्णायक उपाय है। अनेक दशकों से कई लोगों के लिए कर-वंचना उनकी जीवनशैली में शामिल हो गयी है। इसके कारण जनता के व्यापक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है तथा इसके फलस्वरूप कर-वंचना करने वाले लोगों

में अनुचित संपन्नता बढ़ी है तथा निर्धन एवं सुविधाविहीन लोगों के लिए परेशानियां पैदा हुई हैं। इसके कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है जो किसी भी समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले समाज के लिए अस्वीकार्य है। विमुद्रीकरण द्वारा एक नये 'क्षितिज' का निर्माण हुआ है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी तथा अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ एवं वास्तविक होगी। यह कार्य भ्रष्टाचार, काला धन, जाली करेंसी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा लिए गए संकल्प का एक हिस्सा है। अन्य सभी सुधारों के समान ही, स्पष्ट है कि यह उपाय भी स्थापित व्यवस्था के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा क्योंकि इसमें वर्षों से चली आ रही स्थिति में बदलाव लाने पर विचार किया गया है। यदि नई मुद्रा को बाजार में लाने की अवधि के दौरान मुद्रा की कमी के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में कोई व्यवधान आया हो तो उम्मीद है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था पर केवल एक क्षणिक प्रभाव ही पड़ेगा। मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कही गई यह बात याद आती है कि 'सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता।'

12. विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार में कमी, अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक डिजिटाइजेशन, वित्तीय बचतों में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक उचित रूप प्राप्त होने के संदर्भ में दीर्घावधिक लाभ सृजित होने की प्रबल संभावना है और इन सभी के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ कर-राजस्व में भी वृद्धि होगी। विमुद्रीकरण से संसाधन के कर-वंचकों से सरकार को अंतरित होने में सहायता मिली है तथा सरकार इन संसाधनों का प्रयोग निर्धनों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कर सकती है। बैंकों की कम ब्याज दरों पर ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होना तथा समाज के सभी तबकों द्वारा काफी अधिक संख्या में डिजिटाइजेशन को अपनाना इसका साक्षी है। हम निश्चयपूर्वक इस बात पर विश्वास करते हैं कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी, जो हमारी सरकार की तीसरी रूपांतरकारी उपलब्धि अर्थात् जैम (जनधन, आधार, मोबाइल) परिकल्पना पर आधारित है, का हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारे लोगों के जीवन पर युगांतरकारी प्रभाव पड़ेगा।

13. **अध्यक्ष महोदया,** हम वृद्धि एवं विकास के मार्ग के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।

इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप
जो बात नयी है उसे अपनाइए आप
डरते हैं नयी राह पे क्यों चलने से
हम आगे-आगे चलते हैं आजाइए आप

14. पुनः मौद्रिकरण ने गति पकड़ ली है और जल्दी ही यह आसान स्तर पर आ जाएगा। विमुद्रीकरण के प्रभाव आगामी वर्ष तक नहीं रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2016 के संबंध में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आने की घोषणा करते हुए 2017 और 2018 में सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 7.2% और 7.7% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। तथापि, विश्व बैंक इस संबंध में अधिक आशावादी है तथा इसने भारत में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वर्ष 2016-17 में 7%, वर्ष 2017-18 में 7.6% और वर्ष 2018-19 में 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि हमारी नीतिगत तथा आर्थिक सुधारों को जारी रखने के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता; अवसंरचना सुविधाओं तथा विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि; तथा विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आने की आशा के संदर्भ में निर्यात

में वृद्धि के आधार पर अनुमानित की गई है। विमुद्रीकरण के कारण हमारी बैंकिंग प्रणाली में काफी अधिक नकदी जमा हो गई है, जिससे इन बैंकों द्वारा उधार पर ब्याज में कमी आएगी तथा अधिकाधिक लोगों को बैंक ऋण दिए जा सकेंगे। इससे आर्थिक क्रियाकलापों में काफी अधिक तेजी होगी और इसके अनेक अन्य प्रभाव भी होंगे।

15. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को दिए गए भाषण में इस चरण पर हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई थी जैसेकि निर्धनों के लिए आवास; किसानों को राहत; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऋण सहायता; डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देना; गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना; एवं मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातीय समुदाय के लोगों, पिछड़ वर्ग के लोगों तथा महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

16. इस बजट को तैयार करते समय मेरा समग्र विचार ग्रामीण क्षेत्रों, अवंसरचना तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अधिक व्यय करने तथा ऐसा करते हुए राजकोषीय विवेक के सर्वोत्तम मानकों को बनाए रखना रहा है। मैंने आर्थिक सुधारों को जारी रखने, अधिक मात्रा में निवेश को बढ़ावा देने और विकास की गति को त्वरित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है।

17. पिछला एक वर्ष अन्य प्रमुख सुधारों का साक्षी रहा है जैसेकि शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता का अधिनियमन; मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य निर्धारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन; वित्तीय सब्सिडी तथा लाभ के संवितरण हेतु आधार विधेयक का अधिनियमन; एफडीआई नीति में उल्लेखनीय सुधार; वस्त्र सेक्टर के लिए रोजगार सृजन संबंधी पैकज; तथा अनेक अन्य उपाय। हम निर्धनों तथा सुविधाविहीन वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।

18. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2017-18 के बजट में तीन प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया गया है। पहला, बजट प्रस्तुत करने की तिथि को अग्रिम करके इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि संसद लेखा अनुदान को पारित करने की प्रक्रिया से बच सके तथा मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक विनियोग विधेयक पारित कर दे। इससे मंत्रालय तथा विभाग आगामी वित्त वर्ष के आरंभ से ही नई योजनाओं सहित सभी योजनाओं और परियोजनाओं पर कार्य कर सकेंगे। वे मॉनसून शुरू होने से पहले उपलब्ध काम के समय का पूरी तरह उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करना एक ऐतिहासिक कदम है। हमने वर्ष 1924 से चली आ रही इस औपनिवेशित प्रथा को बंद कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ जाएगा तथा इससे रेलवे, राजमार्गों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन आयोजना तैयार की जा सकेगी। तथापि, रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी। तीसरा, हमने व्यय के आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों तथा मंत्रालयों के लिए आवंटन के संबंध में समग्र दृष्टि अपनाने में सहायता प्राप्त होगी। इससे संसाधनों के इष्टतम आवंटन को बढ़ावा मिलेगा।

19. **अध्यक्ष महोदय,** हम यह जानते हैं कि हमें अपने लोगों के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। जनता की आशाओं को पूरा करने के कार्य को जारी रखते हुए अगले वर्ष के लिए

हमारा एजेंडा टीईसी इंडिया अर्थात 'ट्रांसफार्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया (भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने तथा स्वच्छ भारत बनाने)' पर रहेगा। टीईसी इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है :

- प्रशासन की गुणवत्ता तथा हमारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन लाना;
- समाज के विभिन्न तबकों विशेषकर युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना तथा उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना; और
- देश में भ्रष्टाचार, काला धन और अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना।

मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को दस विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) **किसान** : हम किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- (ii) **ग्रामीण आबादी** : रोजगार तथा बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना;
- (iii) **युवा** : इन्हें शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना;
- (iv) **गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग** : सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना;
- (v) **अवसंरचना** : दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए;
- (vi) **वित्तीय क्षेत्र** : सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना;
- (vii) **डिजिटल अर्थव्यवस्था** : गति, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के लिए;
- (viii) **सार्वजनिक सेवा** : जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना;
- (ix) **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन** : संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना तथा राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखना; और
- (x) **कर-प्रशासन** : ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देना।

I. किसान

20. भारतीय किसान ने एक बार फिर से इस वर्ष अपनी प्रतिबद्धता तथा समुत्थान शक्ति प्रदर्शित की है। पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है।

21. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की 'आय सुरक्षा' पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और अधिक उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने; और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा।

22. अच्छी फसल के लिए, किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य ₹10 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। हम अल्पसेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।

23. लगभग 40% छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्र सिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य ₹1900 करोड़ की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा।

24. बुआई करते समय किसानों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई *फसल बीमा योजना* इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़कर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 2016-17 में इस योजना के लिए ₹5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 2016-17 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर ₹13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इस मद के लिए ₹9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में ₹69,000 करोड़ थी जो दोगुने से अधिक होकर 2016 के खरीफ मौसम में ₹1,41,625 करोड़ हो गई है।

25. मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उन्हें जानकारी हो। इसलिए सरकार *कृषि विज्ञान केंद्रों* में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार इन उद्यमियों को ऋण संबद्ध सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।

26. नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी स्थायी निधि में ₹20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर ₹40,000 करोड़ हो जाएगी।

- 27.** 'प्रति बूंद अधिक फसल' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष की आरंभिक निधि ₹5,000 करोड़ होगी।
- 28.** फसल कटाई के बाद के चरण के लिए, हम किसानों को बाजार में अपनी उपज की बेहतर कीमतें प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) दायरे का मौजूदा 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को ₹75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा।
- 29.** बाजार सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा और राज्यों से एपीएमसी से खराब होने वाली वस्तुओं को विमुक्त करने (डिनोटिफाई) का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा।
- 30.** हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा।
- 31.** डेयरी, किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया है। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यावहारिक हो गई है। 3 वर्षों में ₹8000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी। आरंभ में, इस निधि की शुरुआत ₹2000 करोड़ की संचित निधि से की जाएगी।

II. ग्रामीण आबादी

- 32.** अब मैं उस ग्रामीण क्षेत्र पर आता हूँ, जो महात्मा गांधी के हृदय के अत्यधिक करीब था।
- 33.** यदि हम केंद्रीय बजट, राज्य के बजटों, स्वयं-सहायता समूहों के लिए बैंक संबद्धता आदि से ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य से संचालित सभी कार्यक्रमों को जोड़ दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष ₹3 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाती है। जवाबदेही, परिणामों और सामंजस्य (कन्वर्जेंस) में सुधार लाने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम वर्ष 2019 अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। हम वार्षिक वृद्धियों के साथ मौजूदा संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करेंगे। यह अभियान प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतु एक सूक्ष्म योजना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्य करेगा। आधार रेखा से प्रगति की निगरानी करने के लिए गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मिली-जुली सूची विकसित की जाएगी।
- 34.** हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम

से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए, मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से, पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया जाएगा। वास्तव में, खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी।

35. मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो चुकी है।

36. माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत ₹38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर ₹48,000 करोड़ कर दिया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। मनरेगा की सभी परिसंपत्तियों की भू-संबद्धता (जिओ-टैग) और उन्हें लोगों की जानकारी में रखने की पहल ने बेहतर पारदर्शिता की संस्थापना की है। हम मनरेगा कार्यों की योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं।

37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 2016-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किमी सड़क हो गई है, जबकि 2011-2014 की अवधि के दौरान इसका औसत 73 किमी प्रतिदिन था। हमने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित खंडों में 100 से अधिक व्यक्तियों वाले पर्यावासों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हम यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने इस योजना के लिए 2017-18 में ₹19,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर, वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ₹27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

38. हम, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में बजट आवंटन को ₹15,000 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹23,000 करोड़ कर दिया है।

39. हम 1 मई, 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के अपने पथ पर अग्रसर हैं। 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ₹4,814 करोड़ के बड़े हुए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

40. मैंने बजट अनुमान 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट आवंटन 2017-18 में ₹4,500 करोड़ करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजनाओं के लिए आवंटन तीन गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।

- 41.** सुरक्षित स्वच्छता और खुले में शौच करने का अंत करने को बढ़ावा देने में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने जबरदस्त प्रगति की है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर, 2014 में 42% से बढ़कर लगभग 60% हो गया है। अब खुले में शौच करने से मुक्त गांवों को पाइपयुक्त जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
- 42.** हमारा अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 पर्यावासों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का उप-मिशन होगा।
- 43.** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए, 2017-18 तक कम से कम 20,000 व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगिरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 44.** पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अभी भी मानव संसाधनों की कमी है। इस प्रयोजन हेतु 2017-18 के दौरान एक कार्यक्रम 'परिणामों के लिए मानव संसाधन सुधार' प्रारंभ किया जाएगा।
- 45.** सरकार, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करती रहेगी। यह हमारी सरकार के लिए समझौता न करने वाला कार्यक्रम है। 2017-18 में ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन ₹1,87,223 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

III. युवा

- 46.** अब मैं युवा साथियों के लिए अपने प्रस्तावों की बात करता हूँ।
- 47.** गुणवत्तापरक शिक्षा हमारे युवा साथियों को स्फूर्ति प्रदान करेगी। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 'जो शिक्षा आम लोगों को जीवन हेतु संघर्ष करने के लिए उन्हें सुसज्जित करने में सहायक नहीं होतीतो क्या ऐसी शिक्षा सार्थक है?'
- 48.** हमने अपने विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम मापने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है। स्थानीय नवोन्मेषी अंश के जरिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर बल दिया जाएगा।
- 49.** व्यापक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि सृजित की जाएगी। इसमें आईसीटी समर्थित ज्ञान रूपांतरण शामिल होगा। ध्यान 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर होगा।
- 50.** उच्च शिक्षा में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सुधार प्रारंभ करेंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली संस्थाओं को बेहतर प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाएगा। महाविद्यालयों की पहचान प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्वायत्तता का दर्जा दिया जाएगा। परिणाम पर आधारित प्रत्यायन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाएगा।

51. हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफार्म स्वयं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अध्यापकगणों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को आभासी रूप से उपस्थित होने; उच्च गुणवत्ता वाले पाठन संसाधनों तक पहुंच; वाद-विवाद मंचों पर भागीदारी; परीक्षा देने और शैक्षणिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। स्वयं तक पहुंच को शिक्षा के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया जाएगा।

52. हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व-संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त कर देगी ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें।

53. हमारे पास बहुत बड़ा जनसांख्यिकी फायदा है। अपने युवाओं की क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए जुलाई, 2015 में स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था।

54. प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) को पहले ही 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। हम अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। देश भर में 100 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम पेश करेंगे। यह हमारे उन युवकों की सहायता करेंगे जो देश से बाहर नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं।

55. हम 2017-18 में ₹4000 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू करने का भी प्रस्ताव करते हैं। संकल्प ₹3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

56. औद्योगिक मूल्यवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राईव) का अगला चरण भी 2017-18 में ₹2,200 करोड़ खर्च करके शुरू किया जाएगा। स्ट्राईव का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार करने और उद्योग समूह दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण पर होगा।

57. कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह की स्कीम चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

58. पर्यटन बड़ा रोजगार सृजक है और इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। राज्यों की भागीदारी से विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) पर निर्भर रहते हुए पांच विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे विश्व में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा।

IV. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग

59. अध्यक्ष महोदया, मैं अब गरीबों और वंचितों के लिए अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

60. सबका साथ सबका विकास बालिका और महिलाओं से शुरू होता है। गांव स्तर पर 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में ₹500 करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता,

स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए 'वन स्टाप' सामुहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता की राष्ट्रव्यापी स्कीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत उस गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपए अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।

61. मैंने सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास के लिए आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में ₹1,56,528 करोड़ से बढ़ाकर बजट अनुमान 2017-18 में ₹1,84,632 करोड़ कर दिया है।

62. हम सस्ते आवासों में अधिक निवेश सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। सस्ते आवासों को अब संरचना का दर्जा दिया जाएगा जो इन परियोजनाओं को इनसे संबंधित लाभ लेने में समर्थ बनाएगा।

63. राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग ₹20,000 करोड़ के व्यष्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करेगा। विमुद्रीकरण से उत्पन्न अधिक नकदी को धन्यवाद कि बैंकों ने आवासों सहित अपनी उधार देने की दरें पहले ही कम करनी शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास ऋणों के लिए ब्याज सहायता की घोषणा भी की गई है।

64. गरीबी सामान्यतया कमजोर स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यह गरीब ही होते हैं जो विभिन्न दीर्घकालिक बीमारियों से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़ और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य भी है। इसी तरह, आईएमआर 2014 में 39 से घटाकर 2019 तक 28 और एमएमआर 2011-13 में 167 से घटाकर 2018-2020 तक 100 करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केंद्रों में बदला जाएगा।

65. हमें द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। इसलिए हमने प्रति वर्ष अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, बड़े जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने; चुनिंदा ईएसआई और नगर निगमों के अस्पतालों में स्नातकोत्तर शिक्षण सुदृढ़ करने और ख्यातिप्राप्त निजी अस्पतालों को डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए जाएंगे। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार भारत में चिकित्सा, शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियामक ढांचे के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

66. झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

67. हम औषधियों की उपलब्धता किफायती कीमतों पर सुनिश्चित करने तथा जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली भी तैयार की जाएगी। ये नियम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे इन उपकरणों की लागत कम होगी।

68. हम एक श्रमानुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जहां श्रमिक अधिकारों की रक्षा होगी और सौहार्दपूर्ण संबंधों से उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा इन्हें (i) वेतन (ii) औद्योगिक संबंध (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा (iv) सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार किए जाएंगे। आदर्श दुकान और स्थापना विधेयक, 2016 पर विचार करने और इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। इससे महिला रोजगार के अतिरिक्त रास्ते खुलेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम में किया गया संशोधन श्रमिकों और इज़ आफ डूईंग बिजनेस के लाभार्थ हमारी सरकार द्वारा की गई एक और पहल है।

69. हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को विशेष महत्व दे रही है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में ₹38,833 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹52,393 करोड़ किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाने वाला आवंटन बढ़ाकर ₹31,920 करोड़ किया गया है और अल्पसंख्यक मामलों का आवंटन ₹4,195 करोड़ किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी।

70. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन की योजना क्रियान्वित करेगी जिसमें 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष का गारंटीकृत प्रतिलाभ मिलेगा।

V. अवसंरचना

71. टेक इंडिया एजेंडा का पांचवा घटक अवसंरचना है।

72. रेलवे, सड़कें और नदियां देश की जीवन रेखा हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें रेलवे भी शामिल है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम निवेश को रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागर विमानन में लगा सकते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय ₹1,31,000 करोड़ रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा मुहैया कराए गए ₹55,000 करोड़ शामिल हैं।

73. अन्य बातों में, रेलवे चार प्रमुख क्षेत्रों पर अपना फोकस रखेगी, जो इस प्रकार हैं :

- (i) यात्री सुरक्षा
- (ii) पूंजीगत और विकास कार्य
- (iii) स्वच्छता; और
- (iv) वित्त और लेखा सुधार

74. यात्री सुरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में ₹1 लाख करोड़ रुपए की निधि से एक *राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष* सृजित किया जाएगा। सरकार से प्राप्त मूल पूंजी के अलावा रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों की व्यवस्था करेगा। सरकार इस कोष से वित्तपोषण किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश और समय-सीमा निर्धारित करेगी। ब्राड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।

75. अगले तीन वर्षों में, समग्र परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। इसे चिह्नित कॉरिडोरों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के जरिए किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2,800 किमी रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किमी लाइनें शुरू की जाएंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

76. रेलवे ने 9 राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

77. स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में शुरूआत की जा चुकी है। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है। लिफ्ट और एस्कलेटर्स की व्यवस्था करके 500 स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल बनाए जाएंगे।

78. मध्यावधिक संदर्भ में 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 300 स्टेशनों में पहले ही इसकी शुरूआत की जा चुकी है। 1000 मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में 2,000 रेलवे स्टेशनों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।

79. हमारा ध्यान स्वच्छ रेल पर है। एसएमएस आधारित '*क्लीन माई कोच सेवा*' शुरू की गई है। अब, कोच संबंधी सभी शिकायतों और जरूरतों को दर्ज करने के लिए एक एकल विंडो प्रणाली 'कोच मित्र' सुविधा की शुरूआत किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटान और जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों को नई दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार के पांच और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है।

80. इस समय भारतीय रेल निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके कायापलट के उपाय किए जाने होंगे ताकि यह अपनी पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अतः निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

- (i) रेलवे लॉजिस्टिक क्षेत्र के उद्यमियों, जो फ्रंट और बैक एंड कनेक्टिविटी मुद्देया कराएंगे, के साथ भागीदारी के माध्यम से चुनिंदा वस्तुओं के लिए एंड टू एंड एकीकृत परिवहन समाधान क्रियान्वित करेगा। नाशवान वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु चल स्टॉक और प्रचालनात्मक पद्धतियों को कस्टमाइज्ड किया जाएगा।
- (ii) रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। आईआरसीटीसी के जरिए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। कैशलेस आरक्षण 58% से बढ़कर 68% हो गए हैं।

(iii) लेखांकन सुधारों के भाग के रूप में, मार्च 2019 तक प्रोदभूत आधारित वित्तीय विवरणों की शुरुआत की जाएगी।

- 81.** रेलवे के प्रचालन अनुपात को बेहतर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्वों और परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हुए रेलवे के टैरिफ को निर्धारित किया जाएगा।
- 82.** मेट्रो रेल शहरी परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रही है। क्रियान्वयन और वित्तपोषण के साथ-साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण और स्वदेशीकरण के नए मॉडल पर फोकस के साथ नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे हमारे युवा वर्ग को नए रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।
- 83.** मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाकर एक नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निजी भागीदारी और निवेश का कार्य सुकर होगा।
- 84.** सड़क क्षेत्र में, मैंने राजमार्गों के लिए बजट आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 के ₹57,976 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में ₹64,900 करोड़ कर दिया है। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर सड़कों को निर्माण और विकास के लिए चुना गया है। उससे बंदरगाहों और दूरदराज के गांवों को जोड़ने का कार्य और अधिक सुकर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 से चालू वर्ष तक बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर है जो कि इससे पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।
- 85.** एक प्रभावशाली बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा। बहु-रूपात्मक परिवहन सुविधाओं के साथ बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।
- 86.** श्रेणी-2 के शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों के संचालन और रख-रखाव को सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत लाया जाएगा। भू-संपत्तियों के प्रभावी मुद्राकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इससे जुटाए जाने वाले संसाधनों को हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
- 87.** समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए, जिसमें रेल, सड़कें और पोत परिवहन शामिल हैं, मैंने 2017-18 के लिए ₹2,41,387 करोड़ का प्रावधान किया है। निवेश की इतनी बड़ी राशि से देश भर में प्रचूर मात्रा में आर्थिक क्रियाकलापों का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।
- 88.** दूरसंचार क्षेत्र हमारे ढांचागत ईको तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामियों से देश में स्पेक्ट्रम का अभाव दूर हुआ है। इससे मोबाइल ब्रांडबैंड और डिजिटल भारत को काफी बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग इससे लाभान्वित होंगे।
- 89.** भारतनेट परियोजना के तहत 1,55,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। मैंने भारतनेट परियोजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में ₹10,000 करोड़

कर दिया है। 2017-18 के अंत तक, 1,50,000 से भी अधिक ग्राम *पंचायतों* में ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वाई फाई हॉट स्पॉट्स और निम्न प्रशुत्कों पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेली-मेडिसिन, शिक्षा और कौशल विकास के प्रावधान के लिए 'डिजीगांव' नामक पहल शुरू की जाएगी।

90. हमारे ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल के सामरिक भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में, ऐसे तीन तेल भंडारों की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब दूसरे चरण में, दो और स्थानों नामतः ओडिशा में चंडीखोले और राजस्थान में बीकानेर में कंदराएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे हमारी सामरिक तेल भंडार क्षमता 15.33 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी।

91. सौर ऊर्जा में, अब हमारा प्रस्ताव 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए सौर पार्क विकास के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का है।

92. हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए ईको सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 250 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें कुल ₹1.26 लाख करोड़ की निवेश राशि शामिल है। विश्व के अनेक अग्रणी निवेशकों और मोबाइल विनिर्माताओं ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। अतः मैंने एम-सिप्स और ईडीएफ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 2017-18 के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हुए ₹745 करोड़ कर दिया है। यह इस क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक आवंटन है।

93. हमें इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपने निर्यात ढांचे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टाइज)' नामक एक नई और पुनः तैयार की गई केंद्रीय योजना 2017-18 में प्रारंभ की जाएगी।

94. वर्ष 2017-18 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया गया कुल आवंटन ₹3,96,135 करोड़ है।

VI. वित्तीय क्षेत्र

95. अब मैं वित्तीय क्षेत्र पर लौटता हूं। इस क्षेत्र में टीईसी भारत एजेंडा में स्थिर और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। हम अनेक नए उपायों के जरिए अपने सुधारों का एजेंडा जारी रखेंगे।

96. हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90% से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हमने 2017-18 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रोडमैप अगले कुछ महीनों में घोषित किया जाएगा। इस बीच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है और यथासमय आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी।

- 97.** वस्तु बाजारों में किसानों के लाभ के लिए और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढांचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समित गठित की जाएगी। ई-नाम इस ढांचे का एक अभिन्न अंग होगा।
- 98.** अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यहां गरीब और भोले-भाले निवेशकों को बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के विनियामक दोषों का लाभ उठाने वाली बेइमानी कंपनियों द्वारा प्रचालित अनेक संदिग्ध योजनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हम 'स्वच्छ भारत' के अपने एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन करेंगे।
- 99.** वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक को संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र को स्थिरता और लचीलापन मिलेगा। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ-साथ वित्तीय फर्मों के लिए समाधान तंत्र से हमारे देश में समाधान प्रणाली की व्यापकता सुनिश्चित होगी।
- 100.** मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि निर्माण संविदाओं, सरकारी निजी भागीदारी और जनोपयोगी सुविधा संबंधी संविदाओं से संबंधित अवसंरचना में विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद, हमने निर्णय लिया है कि अपेक्षित तंत्र को विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 के हिस्से के रूप में संस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
- 101.** हमारे वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सर्ट-फिन) स्थापित की जाएगी। यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और अन्य हितधारकों के सन्निकट समन्वयन में कार्य करेगा।
- 102.** मैंने वित्तीय सेक्टर में अनेक अन्य उपायों का भी प्रस्ताव रखा है, जिन्हें **अनुबंध-1** में सूचीबद्ध किया गया है।
- 103.** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने से बेहतर सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और यह इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को उजागर करेगा। स्टॉक एक्सचेंजों में चिह्नित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लागू करेगी। पिछले बजट में मेरे द्वारा घोषित विनिवेश नीति जारी रहेगी।
- 104.** आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकोन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के हिस्से को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- 105.** हम, समेकन विलय, और अधिग्रहणों के जरिए हमारे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने का सुअवसर देख रहे हैं। इन विधियों के द्वारा उद्योग की मूल्य श्रृंखला में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को एकीकृत किया जा सकता है। यह उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम बर्दाश्त करने, उच्चतर

किफायतें प्राप्त करने, अधिक निवेश के निर्णय लेने और पणधारकों के लिए अधिक मूल्य का सृजन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तेल और गैस सेक्टर में ऐसी पुनर्संरचना की संभावना दिखाई दे रही है। हम, एकीकृत सरकारी क्षेत्र 'ऑयल मेजर' के सृजन का प्रस्ताव करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निजी सेक्टर की तेल और गैस कंपनियों जैसा निष्पादन करने में सक्षम होगा।

106. हमारे ईटीएफ, जिसमें दस सीपीएसई के शेयर शामिल किए गए हैं, को हालिया और निधि की पेशकश में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली है। हम शेयरों के और आगे विनिवेश के लिए माध्यम के रूप में ईटीएफ का उपयोग करते रहेंगे। तदनुसार, विविधीकृत सीपीएसई स्टॉकों और अन्य सरकारी धारिता के साथ एक नया ईटीएफ 2017-18 में शुरू किया जाएगा।

107. बैंकों के तनावग्रस्त धरोहर खातों के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के अधिनियम और सरफेसी तथा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियमों में संशोधन करके समाधान सुसाध्य बनाने हेतु कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। 'इंद्रधनुष' कार्य योजना की तर्ज पर 2017-18 में बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए मैंने ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

108. सरफेसी अधिनियम के तहत किसी प्रतिभूति कंपनी अथवा किसी पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों की लिस्टिंग और व्यापार की सेबी में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतिकृत उद्योग में पूंजी प्रवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष रूप से बैंकों की अनर्जक आस्तियों के निपटान में सहायता मिलेगी।

109. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का निधिपोषित न किए गए और कम निधिपोषित के निधियन के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा। पिछले वर्ष, ₹1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य पार हो गया था। 2017-18 के लिए मैं, 2015-16 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके ₹2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

110. दलितों, जनजातियों और महिला उद्यमियों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजक बनने में सहायता करने के लिए हमारी सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ अप्रैल, 2016 में किया गया था। इस स्कीम के जरिए 16,000 से अधिक नए उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, नैदानिक केंद्र जैसे विविध क्रियाकलाप करने लगे।

VIII. डिजिटल अर्थव्यवस्था

111. तंत्र को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार तथा काले धन का खात्मा करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार की कार्य नीति का अभिन्न अंग है। अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से औपचारिक बनाने और बैंकिंग पद्धति में वित्तीय बचतों को मुख्य धारा से जोड़ने के संदर्भ में, इसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इससे, ऋण की कम लागत के द्वारा देश में निजी निवेश को शक्तिशाली बनाने की संभावना है। इस समय भारत में वृहत डिजिटल आन्दोलन शीर्ष पर है।

112. डिजिटल भुगतान की शुरुआत से आम आदमी को बहुत लाभ हुआ है। हमारी सरकार की वित्तीय समावेशन और जन धन आधार मोबाइल त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के पहले के प्रयास डिजिटल लेन-देन को वर्तमान में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक थे।

113. बढ़े हुए डिजीटल लेन-देनो के प्रमाण हैं। भीम ऐप्प शुरू किया गया है। यह डिजीटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप्प को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई स्कीमें शुरू करेगी; ये हैं व्यष्टियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम।

114. आधार भुगतान, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण, जल्द ही आरंभ किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेषरूप से फायदेमंद होगा, जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं। यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जरिए 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजीटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी। बैंकों ने, मार्च, 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें, सितम्बर, 2017 तक 20 लाख आधार पर आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

115. बढ़े हुए डिजीटल लेनदेन, लघु और सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिक ऋण सुलभता के लिए समर्थ बनाएगा। उधारकर्ताओं के लेनदेन संबंधी पूर्ववृत्त के आधार पर उन्हें उचित ब्याज दरों पर प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को सरकार प्रोत्साहित करेगी।

116. डिजीटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। डाक घरों, उचित मूल्य की दुकानों और बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भीम ऐप्प सहित पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगरपालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में डिजीटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने और संभवतः उन्हें अधिदेश देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्राप्तियों को अधिदेशित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

117. इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ करेगी।

118. डिजीटल लेनदेन संबंधी मुख्य मंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार विभिन्न पणधारकों के साथ विचार और काम करेगी।

119. आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित डिजीटल भुगतान संबंधी समिति ने भुगतान और निपटान पद्धति अधिनियम, 2007 में संशोधन करने सहित भुगतान ईको प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की व्यापक समीक्षा करेगी और इसमें समुचित संशोधन करेगी। आरंभिक तौर पर, भुगतान तथा निपटान पद्धति के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्त विधेयक, 2017 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

120. जैसे-जैसे हम डिजीटल लेनदेन और बैंक भुगतान के पथ पर तेजी से बढ़ते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बाउंडेड बैंक को भुगतान प्राप्तकर्ता भुगतान लेने में समर्थ हो सकें इसलिए सरकार परक्राम्य लिखत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है।

VIII. सार्वजनिक सेवा

121. अब मैं सरकारी सेवा की ओर आता हूँ। यहां हमारा ध्यान प्रभावी सरकार और दक्ष सेवा अदायगी पर है।

122. हमने एलपीजी और केरोसीन उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से संबंधित मजबूत शुरूआत की है। चंडीगढ़ और हरियाणा के आठ जिले केरोसीन मुक्त हो चुके हैं। 84 सरकारी योजनाओं पर भी डीबीटी प्लेटफार्म पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

123. सरकारी ई-मार्केट स्थान, जो अब वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कार्य कर रहा है, ने विश्व बैंक के साउथ एशिया प्राक्योरमेंट इन्नोवेशन अवार्ड्स के पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है।

124. देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित शिकायतों का समाधान कराने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। हमने मुख्य डाकघरों को, पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए फ्रन्ट कार्यालयों के रूप में उपयोग करने का विनिश्चय किया है।

125. हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। अब एक केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

126. रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान किया जाएगा। इससे रक्षा पेंशनरों की शिकायतें कम होंगी।

127. इस समय हमारे नागरिकों, विशेषरूप से निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग, को सरकारी भर्ती की बोझिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें एजेंसियों और परीक्षाओं की बहुलता है। हम एकल पंजीकरण प्रणाली और परीक्षा की द्विस्तरीय प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं।

128. पिछले कुछ वर्षों से अधिकरणों की संख्या कई गुणा बढ़ जाने से कार्यों की अतिव्याप्ति हो गई है। हम इन अधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और जहां-कहीं उचित हो, इन अधिकरणों को विलय करने का प्रस्ताव करते हैं।

129. पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित, ऐसे कुछ बड़े अपराधियों, के मामले सामने आए हैं, जिनमें कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। अतः सरकार ऐसे व्यक्तियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन, या कोई नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है जब तक वे समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में उपस्थित न हो जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों में सभी आवश्यक सांविधानिक सुरक्षा उपायों का अनुसरण किया जाएगा।

130. हमारी सरकार, सरकारी सेवा के मानकों में सुधार लाने और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। जनता की सेवा करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजीवन प्रतिबद्धता थी। हम महात्मा की 150वीं जन्मशती की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस समारोह को यथोचित ढंग से मनाने हेतु हरसंभव कदम उठाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय

समिति बनाने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को स्मरण उत्सव के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार 2017 में साबरमती आश्रम की उपयुक्त तरीके से 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करेगी। 200 वर्ष पूर्व 1817 में ओडिशा के खुर्दा में बक्शी जगबंधु के नेतृत्व में सैनिकों ने पराक्रमी विद्रोह किया था। हम इसका भी उपयुक्त ढंग से स्मरण उत्सव मनाएंगे।

IX. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन

- 131.** अब मैं, 2017-18 के लिए बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति की ओर आता हूँ।
- 132.** 2017-18 के बजट में ₹21.47 लाख करोड़ का कुल व्यय रखा गया है। व्यय के आयोजना-आयोजना भिन्न के वर्गीकरण को समाप्त करने से अब पूरा ध्यान राजस्व और पूंजी व्यय पर है। मैंने पूंजी व्यय के लिए आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके गुणात्मक प्रभाव होंगे और उच्चतर वृद्धि होगी। राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को बजट अनुमान 2016-17 में ₹3.60 लाख करोड़ की तुलना में कुल ₹4.11 लाख करोड़ के संसाधन अंतरित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों और योजनाओं के लिए आबंटनों और राज्यों को संसाधनों के अंतरण का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध II में दिया गया है।
- 133.** मैंने, 2017-18 में विभिन्न बजट घोषणाओं और अन्य नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ का प्रावधान किया है। पेंशनों को छोड़कर, रक्षा व्यय के लिए, मैंने रक्षा पूंजी हेतु ₹86,488 करोड़ सहित ₹2,74,114 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। मैंने 2017-18 में वैज्ञानिक मंत्रालयों का आवंटन बढ़ाकर ₹37,435 करोड़ कर दिया है।
- 134.** पहली बार, अन्य बजट दस्तावेजों के साथ, सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए एक समेकित परिणाम बजट सभापटल पर रखा जा रहा है। इससे सरकारी व्यय की जवाबदेही में सुधार होगा।
- 135.** एफआरबीएम समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने विस्तृत कवायद की है और यह सिफारिश की है कि एक धारणीय ऋण पथ हमारी राजकोषीय नीति का मुख्य वृहत-आर्थिक एंकर होना चाहिए। समिति ने 2023 तक सामान्य सरकार के लिए 60 प्रतिशत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार के लिए 40 प्रतिशत और राज्य सरकारों के लिए 20 प्रतिशत का अंश शामिल है। समिति ने इस रूपरेखा के भीतर आगामी 3 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लिया है और अनुशंसा की है। समिति ने निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत तक विचलन के लिए 'एस्केप क्लाजेज' की व्यवस्था भी की है। इन एस्केप क्लाजों का आश्रय लेने के लिए कार्रवाई के रूप में समिति ने "अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में 'दूरगामी संरचनात्मक सुधारों'" को एक कारक के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में इस एस्केप क्लाज का आह्वान करने का यह एक सुदृढ़ मामला है फिर भी मैं ऐसा करने से बच रहा हूँ। समिति की रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और यथासमय समुचित निर्णय लिए जाएंगे।
- 136.** तथापि, मैं आगामी तीन वर्षों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के रोडमैप की बात करता हूँ। मैंने सरकारी क्षेत्र में धीमे निवेश और मंद वैश्विक वृद्धि के संदर्भ में उच्चतर सरकारी व्यय की जरूरत पर विचार किया है। मैंने समिति की सिफारिश को ध्यान में

रखा है कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए स्थायी ऋण अंतर्निहित आधार होना चाहिए। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, मैंने 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3.2 प्रतिशत पर रखा है और अगले वर्ष 3 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस क्रमिक दृष्टिकोण के साथ, मैंने सरकारी निवेश की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, राजकोषीय समेकन का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

137. मैंने सरकार के निवल बाजार उधार को ₹3.48 लाख करोड़ तक पुनर्खरीद के पश्चात सीमित रखने के लिए पूरा ध्यान रखा है, जो पिछले वर्ष के 4.25 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट अनुमान 2016-17 में 2.3 प्रतिशत का राजस्व घाटा संशोधित अनुमान में 2.1 प्रतिशत तक कम हो गया है। अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा, एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अधिदेशित 2 प्रतिशत की तुलना में 1.9 प्रतिशत तक रखा गया है।

138. अगले वर्ष में इन वित्तीय आंकड़ों, विशेष रूप से राजकोषीय घाटे में सुधार लाना हमारा प्रयास होगा जिसके लिए व्यय की गुणवत्ता और विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में भारी नकद जमाराशि से उच्चतर कर वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया,

139. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

140. भारत का कर-सघउ अनुपात बेहद कम है, और प्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर अनुपात सामाजिक न्याय की दृष्टि से इष्टतम नहीं है। मैं आपके समक्ष कतिपय ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ जो यह इंगित करते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण भारतीय अर्थव्यवस्था के आय और उपभोग पैटर्न के अनुरूप नहीं है। असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगे अनुमानित 4.2 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में, वेतन से प्राप्त आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल 1.74 करोड़ है। भारत में छोटे-मोटे कारोबार करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमों और फर्मों की संख्या 5.6 करोड़ होने के विपरीत, इस श्रेणी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संख्या केवल 1.81 करोड़ है। भारत में 31 मार्च, 2014 तक पंजीकृत 13.94 लाख कंपनियों में से, 5.97 लाख कंपनियों ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अपनी विवरणियां प्रस्तुत की हैं। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अब तक अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने वाली 5.97 लाख कंपनियों में से, लगभग 2.76 लाख कंपनियों ने हानि अथवा शून्य आय दर्शाई है। 2.85 लाख कंपनियों ने कर पूर्व लाभ ₹1 करोड़ से कम दर्शाया है। 28,667 कंपनियों द्वारा लाभ की राशि ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच दर्शाई गई है और केवल 7781 कंपनियों को कर पूर्व लाभ ₹10 करोड़ से अधिक हुआ है।

141. 2015-16 में कर विवरणियां प्रस्तुत करने वाले 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से, 99 लाख व्यक्ति, ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष की छूट सीमा से कम आय दर्शाते हैं, 1.95 करोड़ व्यक्ति, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच आय दर्शाते हैं, 52 लाख व्यक्ति, ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच आय दर्शाते हैं और केवल 24 लाख लोग, ₹10 लाख से अधिक आय दर्शाते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले 76 लाख व्यक्तिगत निर्धारितियों में से, 56 लाख वेतनभोगी वर्ग में हैं। पूरे देश में ₹50 लाख से अधिक आय दर्शाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख है। हम इसकी इस तथ्य से तुलना कर सकते हैं कि विगत पांच वर्षों में 1.25 करोड़ से अधिक कारें बेची गई हैं और व्यवसाय या पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या वर्ष 2015 में 2 करोड़ है। इन सभी आंकड़ों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा समाज व्यापक रूप से कर अनुपालन न करने वाला समाज है। अर्थव्यवस्था में नकदी की प्रचुरता की वजह से लोगों के लिए अपने करों से बचना संभव होता है। जब बहुत ज्यादा लोग कर चोरी करते हैं तो इनके हिस्से का भार उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदार हैं और कर देते हैं।

142. विमुद्रीकरण के बाद, लोगों द्वारा पुरानी मुद्रा में जमा की गई राशियों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का प्रारम्भिक विश्लेषण एक सारगर्भित तस्वीर प्रस्तुत करता है। 8 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, लगभग 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख रुपये और 80 लाख रुपये के बीच राशियां जमा की गई थीं तथा औसत जमा आमाप ₹5.03 लाख था। ₹80 लाख से अधिक की राशियां ₹3.31 करोड़ के औसत जमा आमाप के साथ 1.48 लाख खातों में जमा कराई गई थीं। इन आंकड़ों की छानबीन से हमें कर के दायरे का विस्तार करने और राजस्व बढ़ाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी जो विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य था।

143. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता अर्थव्यवस्था से काला धन को बाहर निकालना है। हम अपनी कराधान दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाने, अपने

कर प्रशासन को और अधिक उपयुक्त बनाने तथा देश में कर आधार का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सोच धन का रंग बदल देगी।

**नई दुनिया है, नया दौर है, नयी है उमंग
कुछ थे पहले के तरीके, तो हैं कुछ आज के ढंग
रोशनी आके अंधेरों से जो टकरायी है
काले धन को भी बदलना पड़ा, आज अपना रंग**

144. वर्ष 2013-14 के दौरान निवल कर राजस्व ₹11.38 लाख करोड़ रुपये था। यह 2014-15 में 9.4 प्रतिशत और 2015-16 में 17% बढ़ गया। संशोधित अनुमान 2016-17 के अनुसार हम इस वर्ष का समापन दूसरे अनुवर्ती वर्ष के लिए 17% की उच्च वृद्धि दर के साथ करेंगे। सरकार द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के कारण, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में व्यक्तिगत आयकर में अग्रिम कर की वृद्धि दर 34.8 प्रतिशत है।

145. अध्यक्ष महोदया, इस बजट में मेरे कर प्रस्तावों का जोर विकास की गति में तेजी लाने, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने, सस्ते आवास, काले धन की रोकथाम, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, राजनीतिक वित्त पोषण की पारदर्शिता और कर व्यवस्था के सरलीकरण पर है।

सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय

146. विगत वर्ष, अपने बजट प्रस्तावों में, मैंने सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु लाभ-संबद्ध आयकर छूट की एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तथापि, इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मेरा इस योजना में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय, 30 और 60 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी। पात्र बनने के उद्देश्य से यह योजना इसके प्रारम्भ के पश्चात 3 वर्षों में पूरी की जानी थी। मेरा इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

147. वर्तमान में, पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय पर कर के अधधीन हैं। जिन बिल्डरों के लिए निर्मित मकान व्यवसाय में लगी पूंजी है, मेरा उनके लिए यह नियम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने वाले वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही लागू करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें अपनी इन्चेंटरी के परिनिर्धारण हेतु कुछ समय मिल सके।

148. हम, भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करते हैं। अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारण अवधि इस समय दीर्घावधिक 3 वर्ष है। इसे घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अचल संपत्ति सहित आस्तियों की सभी श्रेणियों के लिए सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1.4.1981 से बदलकर 1.4.2001 किए जाने का प्रस्ताव है। इस कदम से पूंजीगत लाभ कर देयता काफी घटेगी जबकि आस्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी यह भी योजना है कि वित्तीय लिखतों के उस समूह का विस्तार किया जाए जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके।

149. संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए, प्रतिफल प्राप्त होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी।

150. आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रयोग किए बगैर नई भूमि पूर्लिंग व्यवस्था द्वारा बसाई जा रही है। मैं 2.6.2014 को, जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, भूमि के धारक व्यक्तियों और जिनकी भूमि सरकारी योजना के अंतर्गत राजधानी शहर बसाने के लिए ली जा रही है, उनके लिए पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

विकास की गति को प्रेरित करने वाले उपाय

151. विदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित ब्याज पर 5% रियायती विद-होल्डिंग दर प्रभारित की जा रही है। यह रियायत 30.6.2017 तक उपलब्ध है। मैं, इसे, 30.6.2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ रुपया मूल्यवर्गित (मसाला) बांडों को भी दिया जाता है।

152. सरकार ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ स्टार्ट-अप को आयकर रियायतें दी थीं। ऐसे स्टार्ट-अप के संबंध में अगले लाभ से हानिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मताधिकार के 51% की निरंतर शेयर धारिता की शर्त को इस बात के अध्यक्षीन शिथिल किया गया है कि मूल प्रोमोटर/प्रोमोटरस की शेयर धारिता जारी रहे। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप को 5 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध लाभ संबद्ध कटौती रियायत को बदलकर 7 वर्ष में से 3 वर्ष किया जा रहा है।

153. वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) अग्रिम कर के रूप में लगाया जाता है। मैट समाप्त करने की पुरजोर मांग है। यद्यपि, रियायतें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना 1.4.2017 से शुरू होगी और चरणबद्ध समाप्ति से राजस्व का पूरा लाभ सरकार को 7 से 10 वर्ष बाद में ही मिलेगा, जब वे सभी जो पहले ही इन रियायतों से लाभ ले रहे हैं, अपने लाभ लेने की अवधि पूरी कर लेंगे। इसलिए, वर्तमान में मैट समाप्त करना या कम करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, आगामी वर्षों में मैट क्रेडिट का प्रयोग करने के लिए कंपनियों को छूट देने के लिए मैं, मैट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक और चलाने का प्रस्ताव करता हूं।

154. मैंने, 2015 में अपने बजट प्रस्तावों में घोषणा की थी कि मैं कारपोरेट आय कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25% पर लाऊंगा। 2016 के बजट में, मैंने उन कंपनियों, जिनका कारोबार ₹5 करोड़ से कम है, के मामले में 1 प्रतिशत कटौती की घोषणा की थी। उसी बजट में मैंने यह घोषणा भी की थी कि वे नई विनिर्माण कंपनियां जो किसी छूट का लाभ नहीं लेती हैं, उन पर सिर्फ 25% आयकर प्रभारित किया जाएगा।

155. मध्यम और लघु उद्यम अधिकतर आर्थिक कार्यकलाप करते हैं और लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक हैं। तथापि, क्योंकि उन्हें अधिक रियायतें नहीं मिलतीं, वे बड़ी कंपनियों की तुलना में ज्यादा कर देते रहते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार ₹1 करोड़ से कम लाभ कमाने वाली 2.85 लाख कंपनियां 30.26% प्रभावी कर दर अदा करती हैं जबकि ₹500 करोड़ से अधिक लाभ कमाने वाली 298 कंपनियां 25.90% प्रभावी कर दर अदा करती हैं।

156. एमएसएमई कंपनियों को और व्यवहार्य बनाने के लिए और फर्मों को भी कंपनी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मैं, ₹50 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों

का आयकर घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ। निर्धारण वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार 6.94 लाख कंपनियां विवरणियां दायर कर रही हैं, जिनमें से 6.67 लाख कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं और इसलिए प्रतिशत-वार 96% कंपनियां निम्न कराधान का लाभ उठाएंगी। यह हमारे एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी कंपनियों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। इस उपाय से परित्यक्त राजस्व का अनुमान ₹7,200 करोड़ प्रति वर्ष होने की आशा है।

157. बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों हेतु अनुज्ञेय प्रावधान 7.5% से बढ़ाकर 8.5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह बैंकों की कर देनदारी कम कर देगा। मैं सभी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के एनपीए खातों के संबंध में प्रोद्भवन आधार की बजाय वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त ब्याज पर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर अदा करने, चाहे ब्याज आय वसूल न की गई हो, का कष्ट समाप्त कर देगा।

158. एलएनजी के ईंधन के साथ-साथ पेट्रो-रसायन सेक्टर के लिए फीड स्टॉक के प्रयोग की व्यापक श्रृंखला पर विचार करते हुए मैं एलएनजी पर बुनियादी सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

159. घरेलू मूल्य वर्धन प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ मदों, जो इस भाषण के अनुबंध-III में दी गई हैं, के संबंध में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें से कुछ प्रस्ताव शुल्क प्रतिलोमन समाप्त करने के लिए भी हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

160. छोटे और मध्यम कर दाताओं, जिनकी कुल बिक्री ₹2 करोड़ तक हैं, के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8% को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री, जो नकदी-भिन्न साधनों से की जाती है, के संबंध में इसे 6% करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेनदेनों पर भी लागू होगा।

161. मैं कटौती, राजस्व के साथ-साथ पूंजी व्यय, के रूप में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा ₹10,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी तरह नकद दान की सीमा, जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ₹10,000 से घटाकर ₹2,000 की जा रही है।

162. सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुझाव दिया है कि 3 लाख रुपये से अधिक का कोई भी लेनदेन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

163. मैं, कैशलेस लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए एम-पीओएस हेतु मिनिचार्ज पीओएस कार्ड रीडर, माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स वर्सन 1.5.1, फिंगर प्रिंट रीडर्स/स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क और एसएडी से छूट का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ ही, मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता

164. भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक पार्टियां एक बहु-पार्टी संसदीय लोकतंत्र के अनिवार्य अवयव हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी, देश, राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण की पारदर्शी कार्यपद्धति विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ है, जो कि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रणाली के लिए अनिवार्य है। व्यष्टियों, साझेदारी फर्मों, हिंदु अविभाजित परिवारों और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में चंदा देने के लिए विगत में जन प्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आय कर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करके एक प्रयास किया गया था। दाता और आदाता दोनों को कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी, यदि उनके लेखे पारदर्शी ढंग से रखे गए हों और सक्षम प्राधिकारियों को विवरणियां फाइल की गई हों। तदनुसार, उन दाताओं की सूची अलग-से तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्होंने किसी भी पार्टी को ₹20,000/- अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान नकद या बैंक से दिया है। इन प्रावधानों को लागू किए जाने से स्थिति में केवल मामूली रूप से सुधार हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अधिकांश निधि अज्ञात चंदे के जरिए प्राप्त कर रही हैं जो नकद में दिखाई जाती हैं।

165. इसलिए, भारत में राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दाताओं ने भी बैंक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरुचि दिखाई है क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्तपोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूँ:

- (क) निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में, एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम ₹2000/- की राशि प्राप्त कर सकती है।
- (ख) राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से बैंक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- (ग) अतिरिक्त उपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार चुनावी बांड जारी किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत, दाता केवल बैंक और डिजिटल भुगतानों के तहत प्राधिकृत बैंकों से बांड खरीद सकता है। ये बांड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत खाते में ही परिशोध्य होंगे। इन बांडों को बांड जारी करने से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही परिशोध्य कराया जाएगा।
- (घ) प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को आय कर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल इन शर्तों को पूरा करने के अधीन ही मिलेगी। इस सुधार से भविष्य में काले धन के सृजन को रोकते हुए राजनीतिक वित्तपोषण में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

166. कर वंचन रोधी उपाय के रूप में 2012 के वित्त अधिनियम में संबंधित उद्यमियों के संबंध में घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। तब से घरेलू मूल्य निर्धारण के अंतर्गत कवर किए गए उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लंबी

जांच पड़ताल की आवश्यकता हुई, जिससे घरेलू कंपनियों को कठिनाई हुई। घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण उपबंधों के कारण अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से घरेलू अंतरण कीमत निर्धारण के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं कि पार्टी लेनदेन से संबंधित उद्यमियों में से केवल एक उद्यमी ही विनिर्दिष्ट लाभ संबंधी कटौती प्राप्त कर सकता है।

167. मैं उन व्यावसायिक उद्यमियों की लेखा परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक करने का प्रस्ताव करता हूं, जो अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। इसी प्रकार, व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा ₹10 लाख टर्नओवर से बढ़ाकर ₹25 लाख अथवा आय को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख की जा रही है।

168. वर्ष 2012 में आय कर अधिनियम को भारतीय परिसंपत्तियों से अत्यधिक मूल्य प्राप्त करने वाली किसी विदेशी कंपनी में शेयरों या ब्याज के अंतरण संबंधी लेनदेनों पर कराधान का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था, विदेश में स्थित भारत-आधारित कंपनियों में निवेश करने वाले भारत-आधारित निधियों के निवेशकों के स्टैक के अंतरण के मामले में इस प्रावधान के कारण उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं।

169. इस कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से, मैं श्रेणी I एवं II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। हमारा यह स्पष्टीकरण जारी करने का भी प्रस्ताव है कि भारत में कर-प्रभार्य निवेश के शोधन या बिक्री के परिणामस्वरूप या इससे उत्पन्न परंतु भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याजों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।

170. आज तक, व्यष्टि बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जा रही है, चाहे उनमें से कुछ की आय ही कर योग्य सीमा से कम ही हो। हम उन्हें टीडीएस की आवश्यकता से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें इस शर्त के अध्यक्षीन स्वघोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है।

171. पिछले वर्ष मैंने ₹50 लाख प्रति वर्ष की आय वाले व्यावसायियों के लिए अनुमानित कराधान की नई योजना की घोषणा की थी। ऐसे निर्धारण के संबंध में, अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में उन्हें चार किस्तों के स्थान पर एक किस्त में भुगतान करने का लाभ दिया जा रहा है।

172. जनता के लिए धन वापसी दावे में तेजी लाने के लिए, संशोधित कर विवरणी के लिए समय सीमा को वित्त वर्ष पूरा होने से कम करके विवरणी फाइल करने की समयावधि के समान 12 माह तक किया जा रहा है। साथ ही, आकलन जांच के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 21 माह से कम करके 18 माह और निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं उससे आगे और कम करके 12 माह की जा रही है।

व्यक्तिगत आय-कर

173. जबकि सरकार कर अपवंचन करने वाले और अधिक लोगों को कर-नेट के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है, कराधान का वर्तमान बोझ प्रमुखतः ईमानदार करदाताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों पर है जो अपनी आय को सही रूप में दर्शाते हैं। अतः विमुद्रीकरण-पश्चात इस वर्ग के लोगों की यह आशा जायज़ है कि उनके कराधान के बोझ को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि यदि स्लैब के लिए कराधान की दर को नाममात्र रखा जाए, तो अनेक और लोग कर-नेट के अंतर्गत आना चाहेंगे।

174. इसलिए मैं, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति निर्धारितियों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ₹5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घट कर शून्य (छूट सहित) या इनकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, लाभार्थियों के उसी समूह को उपलब्ध छूट के मौजूदा लाभ को घटाकर ₹2500 किया जा रहा है जो ₹3.5 लाख तक की आय वाले निर्धारितियों के लिए ही उपलब्ध है। इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष ₹3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता शून्य होगी और ₹3 लाख से ₹3.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता मात्र ₹2,500 होगी। यदि धारा 80ग के तहत ₹1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो ₹4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर शून्य होगा। चूँकि ₹5 लाख तक की आय वाले लोगों की कराधान देयता को घटाकर आधा किया जा रहा है, बाद की स्लैबों में अन्य श्रेणियों के सभी करदाताओं को भी प्रति व्यक्ति ₹12,500/- का एक समान लाभ मिलेगा। इस उपाय के चलते परित्यक्त कर की कुल राशि ₹15,500 करोड़ बनती है।

175. इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए, मैं उन व्यक्तियों पर देय कर का 10% अधिभार के रूप में लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिनकी वार्षिक कर योग्य आय ₹50 लाख और ₹1 करोड़ के बीच में है। ₹1 करोड़ से अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर कर का 15% का मौजूदा अधिभार जारी रहेगा। इससे ₹2,700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

176. कर-नेट को और व्यापक बनाने के लिए, व्यावसायिक आय से इतर ₹5 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी के रूप में भरे जाने के लिए एक-पृ-ठीय फॉर्म लाने की भी हमारी योजना है। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार आय कर विवरणी भरता है, प्रथम वर्ष में किसी जांच के अध्यक्षीन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके उच्च मूल्य के लेन-देन के बारे में विभाग के पास विशि-ट सूचना उपलब्ध न हों। मैं, भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि यदि उनकी आय ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आती है तो 5% कर की छोटी सी अदायगी करते हुए रा-ट्र निर्माण में भागीदार बनें।

177. कर कानूनों में संशोधन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिनका मेरे भा-गण में उल्लेख नहीं हुआ है, इस भा-गण के अनुबंध-III में दिए गए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर

178. जीएसटी को लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, जोकि स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक बड़ा कर सुधार है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अधिनियमों से लेकर, अब तक, इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रारंभिक कार्य सरकार की सर्वोच्च वरीयता रही है। इस संदर्भ में, राज्यों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड दोनों की ओर से अधिकारियों की अनेक टीमों मॉडल जीएसटी कानून और नियमों तथा अन्य ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए अथक रूप से कार्य कर रही हैं। सरकार ने अपनी ओर से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू किया है, जिसमें जीएसटी परि-द का गठन भी शामिल है। अब तक, जीएसटी परि-द ने जीएसटी दर ढांचे की व्यापक रूपरेखा, समझौता योजना के लिए न्यूनतम छूट और मानदंड, जीएसटी को लागू करने के कारण राज्यों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति संबंधी विवरण, नमूना जीएसटी कानून के मसौदे के परीक्षण, एकीकृत

जीएसटी कानून और प्रतिपूर्ति कानून तथा जीएसटी के लिए प्रशासनिक तंत्र सहित जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 9 बैठकें आयोजित की हैं। इस महान सदन में यह सूचित करना मेरा सौभाग्य है कि जीएसटी परि-द ने उत्साहवर्धक बहस और चर्चाओं के बाद लगभग सभी सहमति आधारित मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैयारी भी निर्धारित समयानुसार चल रही है। जीएसटी के लिए व्यापार और उद्योग तक पहुँच बनाने के व्यापक प्रयास 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होंगे ताकि व्यापार और उद्योग जगत को नई कराधान प्रणाली के प्रति जागरूक किया जा सके।

179. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से, केंद्र सहकारी संघवाद के मूल-मंत्र से समझौता किए बिना निर्धारित समयानुसार जीएसटी के क्रियान्वयन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। जीएसटी को लागू करने से कर-नेट के विस्तार के कारण केंद्र और राज्यों दोनों को और अधिक कर प्राप्त होने की संभावना है। हमने उत्पाद शुल्क और सेवा कर की वर्तमान व्यवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि इन्हें शीघ्र ही जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

रैपिड

180. जून 2016 में आयोजित अधिकारियों की 'राजस्व ज्ञान संगम' नामक वार्षिक सभा में प्रधान मंत्री ने रैपिड जिसका अर्थ है - राजस्व, उत्तरदायित्व, सत्यनि-ठा, सूचना और डिजिटलइजेशन, के प्रस्ताव के रूप में कर प्रशासन में सुधार लाने की इच्छा जाहिर की थी। यह उस प्रस्ताव से कर विभाग की कार्यनीति सूक्ष्मरूप से प्रतिबिंबित होती है जो अब निर्धारित कर दी गई है। चूंकि राजस्व विभाग हमेशा एकाग्र रहा है, हम कर-निर्धारण में मानव हस्तक्षेप को दूर करने के साथ-साथ कर अपवंचन को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिकतम प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आने वाले व-र्षों में ई-निर्धारण के लिए अपने प्रयासों में और तेज़ी लाएंगे। हम इन-हाउस और आउटसोर्स दोनों तरीके से डाटा जुटाने की क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग भी कर रहे हैं। भूल-चूक के विशि-ट कार्य के प्रति कर विभाग के अधिकारियों में अधिक उत्तरदायित्व को प्रवर्तित करने की भी हमारी योजना है। मैं प्रत्येक को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ईमानदार, कर-अनुपालक व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण और भद्र व्यवहार किया जाएगा।

181. अध्यक्ष महोदया, छूटों इत्यादि के लिए मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ₹22,700 करोड़ की राजस्व हानि होगी, परन्तु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव के लिए ₹2,700 करोड़ के राजस्व लाभ की गणना करने के पश्चात प्रत्यक्ष कर में निवल राजस्व हानि ₹20,000 करोड़ की होगी। मेरे अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कोई विशेष- हानि या लाभ नहीं है।

निष्कर्ष

182. अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने विस्तृत एजेंडा: "भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने तथा स्वच्छ भारत बनाने" के तहत बजट प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। अब हमारा जोर किसानों, निर्धनों और समाज के अभावग्रस्त वर्गों के लाभ के लिए इन सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित कराने पर रहेगा।

183. अध्यक्ष महोदया, यह कहा जाता है कि: 'जब मेरा उद्देश्य सही हो, जब मेरा लक्ष्य मेरे सामने हो, माहौल मेरे पक्ष में हो और मैं उड़ान भरूँ'। इसके लिए आज के दिन से बेहतर कोई और दिन नहीं होगा।

184. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय क्षेत्र में अन्य उपाय

1. भागीदारों, ब्रोकरों और प्रचालनात्मक रूपरेखा को एकीकृत करते हुए पण्यों और प्रतिभूति व्युत्पन्न बाजारों को और भी एकीकृत किया जाएगा।
2. सेबी द्वारा म्युचुअल फंडों, ब्रोकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि जैसे वित्तीय बाजार के मध्यस्थों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन बनाई जाएगी। इससे आसानी से कारोबार करने में सुधार होगा।
3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पंजीकरण, बैंक खाता और डीमैट खाता खोलने तथा पैन कार्ड जारी करने के लिए एक कॉमन आवेदन फार्म बनाया जाएगा। इसके लिए सेबी, आरबीआई और सीबीडीटी संयुक्त रूप से आवश्यक प्रणालियां और कार्यविधियां तैयार करेंगे। इससे प्रचालनात्मक लोचशीलता बढ़ेगी और भारतीय पूंजी बाजार में पहुंच सुगम होगी।
4. व्यक्ति डीमैट खातों को आधार के साथ लिंक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
5. फिलहाल बैंकों और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं को सेबी द्वारा अर्हक संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये संस्थाएं विशेषरूप से निर्धारित आबंटनों सहित आईपीओ में भागीदारी के लिए पात्र हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण और एक कतिपय निवल मूल्य से ऊपर की एनबीएफसी को अर्हक संस्थागत क्रेता के रूप में वर्गीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। इससे आईपीओ बाजार सुदृढ़ होगा और अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
6. सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों के सूचीयन और व्यापार की सेबी द्वारा पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों में अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतिकरण उद्योग में पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी और इससे विशेषरूप से बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से निपटने में सहायता मिलेगी।

भाग क का अनुबंध II-क

महत्वपूर्ण मंत्रालयों, क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आवंटन				
क्रम सं.	मंत्रालय का नाम	(करोड़ रुपए)		
		ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
1	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	44485	48072	51026
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2430	2524	2682
3	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	14010	16512	20011
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	38206	39688	48853
5	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5411	5285	6406
6	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	72394	73599	79686
7	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3465	5463	6482
8	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	3827	3827	4195
9	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5036	4360	5473
10	रेल मंत्रालय	45000	46155	55000
11	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	57976	52447	64900
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय	87765	97760	107758
13	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	1804	2173	3016
14	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	7350	7353	7763
15	जनजातीय मामले मंत्रालय	4827	4827	5329
16	शहरी विकास मंत्रालय	24523	32550	34212
17	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	6201	4756	6887
18	महिला और बाल विकास मंत्रालय	17408	17640	22095
अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन				
	आवंटन का वर्णन	ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
I	सभी मंत्रालयों में अनु.जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन	24005	25602	31920
II	सभी मंत्रालयों में अनु.जातियों के कल्याण के लिए आवंटन	38833	40920	52393
III	अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटन	1873	1892	1976
IV	सभी मंत्रालयों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन	29125	32180	43245
V	सभी मंत्रालयों में महिला कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटन	90770	96332	113327
VI	सभी मंत्रालयों में बाल कल्याण हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटन	65758	66249	71305

क्षेत्र जोड़				
		(करोड़ रुपए)		
क्रम सं.	क्षेत्र	ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	48572	52821	58663
2	ग्रामीण विकास	102543	114947	128560
3	अवसंरचना	348952	358634	396135
3क	जिसमें से परिवहन	216268	216903	241387
4	सामाजिक क्षेत्र	168100	176225	195473
4क	शिक्षा और स्वास्थ्य	112138	114806	130215
4ख	कल्याण अभिमुखीकरण सहित सामाजिक क्षेत्र	55962	61419	65258
5	रोजगार सृजन, कौशल और आजीविका	12141	14870	17273
6	वैज्ञानिक मंत्रालय	33467	34359	37435

स्रोत : व्यय की रूपरेखा और व्यय बजट 2017-18

महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटन

क्रम सं.	योजना का नाम	(करोड़ रुपए)		
		ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	38500	47499	48000
2	प्रधानमंत्री आवास योजना	20075	20936	29043
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	5000	6000	6050
4	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9500	9500	9500
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000
6	सर्व शिक्षा अभियान सहित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	28330	28251	29556
7	स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9700	9700	10000
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	16260	16580	20755
9	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20762	22598	27131
10	स्वच्छ भारत मिशन	11300	12800	16248
11	स्वच्छ आजीविका मिशन- आजीविका	3325	3334	4849
12	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन	7296	9559	9000
13	हरित क्रांति	12560	10360	13741
14	श्वेत क्रांति	1138	1312	1634
15	नीली क्रांति	247	392	401
16	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) तीन मंत्रालयों से संबद्ध	5767	5189	7377
17	महिला सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन	907	821	1089
18	पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	850	819	962
19	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एटीयूएफएस, प्रधानमंत्री	8133	10682	11640

क्रम सं.	योजना का नाम	(करोड़ रुपए)		
		ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
	मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और एएसपीआईआरई सहित मनरेगा से इतर रोजगार सृजन कार्यक्रम			
20	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	5500	13240	9000
21	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	2710	3210	3000
22	दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि	900	3400	3500
23	भारतनेट	0	6000	10000
24	मैट्रो परियोजनाएं	10000	15700	18000
25	इंद्रधनुष योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण	25000	25000	10000
26	एकीकृत विद्युत विकास स्कीम और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	8500	7874	10635
27	नमामी गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना	2150	1441	2250
28	सागरमाला	450	406	600
29	निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2000	2500	2500

भाग क का अनुबंध II -ग

राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित संसाधन					
		(करोड़ रुपए)			
क्रम सं..		वास्तविक 2015-16	ब.अ. 2016-17	सं.अ. 2016-17	ब.अ. 2017-18
1	करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण	506193	570337	608000	674565
2	वित्त आयोग के अंतरण	84579	100646	99115	103101
3	राज्यों को अन्य केंद्रीय अंतरण	238572	254371	277649	303412
4	राज्यों को कुल केंद्रीय अंतरण (सकल) (1+2+3)	829344	925354	984764	1081078
5	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल केंद्रीय अंतरण (सकल)	5139	5320	5547	3996
6	कुल अंतरण (सकल) (4+5)	834483	930674	990311	1085074
7	ऋणों और अग्रिमों की वसूली (क+ख)	11513	9473	9163	9516
क	राज्य	11454	9028	8730	9083
ख	संघ राज्य क्षेत्र	59	445	433	433
8	राज्यों को कुल केंद्रीय अंतरण (निवल) (4-7क)	817890	916326	976034	1071995
9	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल केंद्रीय अंतरण (निवल) (5-7ख)	5080	4875	5114	3563
10	केंद्र से कुल अंतरण (निवल) (8+9)	822970	921201	981148	1075558
	<i>इसके अतिरिक्त</i>				
11	राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) * से निर्गमित विशेष राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	58750	26375	13000	15000
* केवल मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली ने 2016-17 से शुरू करके एनएसएसएफ से ऋण प्राप्त करने का चयन किया है।					

स्रोत : बजट का सार 2017-18.

प्रत्यक्ष कर

1. अतिरिक्त राजस्व जुटाने (एआरएम) संबंधी और दुरुपयोग-रोधी उपाय
 - 1.1 आयकर अधिनियम की धारा 115खखघक के प्रावधानों को विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें धारा 12कक अथवा धारा 10(23ग) में उल्लिखित के अंतर्गत पंजीकृत घरेलू कंपनियों अथवा न्यास अथवा संस्था अथवा निधि को छोड़कर सभी निवासी व्यक्तियों के लिए लाभांश आय ₹10 लाख से अधिक होने पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान है। इस समय, ये प्रावधान केवल व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त परिवार और फर्मों पर लागू हैं।
 - 1.2 आयकर की धारा 56 के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा विचार किए बिना अथवा अपर्याप्त विचार करके प्राप्त किया गया कोई धन, अचल संपत्ति और विनिर्दिष्ट चल संपत्ति कतिपय छूट और अपवादों के अध्यक्षीन कर योग्य होगी यदि इसका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक हो।
 - 1.3 यह प्रस्ताव है कि सूची से इतर इक्विटी शेयरों के अंतरण के मामले में, जहां विहित तरीके से निर्धारित उचित बाजार मूल्य प्रतिफल से कम हो, ऐसे उचित बाजार मूल्य को पूंजी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ प्रतिफल का मूल्य माना जाएगा।
 - 1.4 यह व्यवस्था करके सूचीबद्ध शेयरों के अंतरण के मामलों में दीर्घावधिक पूंजी लाभों से प्राप्त छूट को सीमित किए जाने का प्रस्ताव है कि कतिपय अपवादों की अधिसूचना के अध्यक्षीन छूट उपलब्ध होगी यदि प्रतिभूति लेनदेन कर का ऐसे शेयरों के अधिग्रहण के समय समय भुगतान किया गया हो जहां इन्हे 1 अक्टूबर, 2004 के बाद अधिग्रहित किया गया हो।
 - 1.5 आयकर अधिनियम में नए प्रावधान लाए जाने का प्रस्ताव है ताकि जिनके बही खातों की लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, उनको छोड़कर व्यष्टि अथवा हिंदु अविभक्त परिवार द्वारा प्रतिमाह ₹50,000 से अधिक राशि के किराया भुगतान करते समय 5 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती की जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे कर की चालान-सह-विवरणी के माध्यम से वित्त वर्ष में केवल एक बार कटौती किए जाने और जमा किए जाने की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, कटौतीकर्ता को इस प्रयोजनार्थ टैन प्राप्त करने अथवा पृथक टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 1.6 अंतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों को ओईसीडी अंतरण मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार के अनुरूप बनाने के लिए नई धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि निर्धारित वित्तीय समायोजन करेगा जहां कतिपय मामलों में अंतरण मूल्य का आरंभिक समायोजन किया गया हो। यह प्रावधान तभी प्रयोज्य होगा यदि आरंभिक समायोजन एक करोड़ रुपए से अधिक हो और समायोजन से संबंधित अतिरिक्त राशि निर्धारित समय में भारत में न लाई गई हो।
- 1.7 विरल पूंजीकरण के मुद्दे के समाधान के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि किसी भारतीय कंपनी अथवा किसी विदेशी कंपनी की स्थायी स्थापना द्वारा ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले अर्जन के तीस प्रतिशत से अधिक अदा किया गया ब्याज अथवा अपने सहयोगी उद्यम को प्रदत्त ब्याज, जो भी कम हो, की उसके कर योग्य लाभ परिकलन में कटौती के रूप में अनुमति नहीं होगी। यह भी प्रस्ताव है कि आठ निर्धारण वर्षों के लिए प्रतिबंधित अग्रेनय और ब्याज समंजन की अनुमति दी जाए।
- 1.8 स्व-स्वमित्ववाली संपत्ति की तुलना में किराए पर दी गई संपत्ति के संबंध में ब्याज कटौती की मौजूदा विसंगति का समाधान करने के लिए, चालू वर्ष के दौरान किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के मुकाबले आवास संपत्ति से हुई हानि के समंजन को दो लाख रुपये तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसी असंमंजित हानि को आठ निर्धारण वर्षों के लिए आवास संपत्ति के प्रति समंजन के लिए अग्रेनीत किए जाने की अनुमति दी जाएगी।
- 1.9 प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत अथवा धारा 10(23ग) के अंतर्गत अनुमोदित किसी कंपनी द्वारा धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत अन्य कंपनी को किया गया दान इस निदेश के साथ किया गया हो कि ऐसा दान निधि का हिस्सा होगा, को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए आय का अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा।

2. युक्तिकरण के उपाय

- 2.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि विदेशी कंपनी के मामले में, करार अथवा व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के मामले में, कच्चे तेल के शेष स्टॉक की बिक्री कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन भारत में कर योग्य नहीं होगी।

- 2.2 कार्बन क्रेडिट की बिक्री से उत्पन्न आय के मामले में 10 प्रतिशत रियायती कर देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 2.3 यात्रियों के परिवहन का व्यवसाय करने वाले सरकारी, विदेशी मिशनों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वाहनों की खरीद से संबंधित स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) के प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव है।
- 2.4 यह प्रस्ताव किया जाता है कि परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य जिस पर कि अधिमान्य आय की गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया गया हो, जिस पर आयकर अधिनियम के अध्याय XII डख के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान किया गया हो, को उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत माना जाएगा।
- 2.5 आयकर अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत अपतटीय निधियों की विशेष करधान प्रणाली की शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि उस वर्ष में न्यूनतम निधि आकार को बनाए रखना अनिवार्य नहीं होगा जिसमें निधि का समापन किया जा रहा हो।
- 2.6 प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कतिपय निधियों के लिए उपलब्ध छूट की तर्ज पर यह प्रस्ताव है कि मुख्यमंत्री राहत कोष और उप राज्यपाल राहत कोष की आय कर से मुक्त की जाए।
- 2.7 उन प्रावधानों को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है जिनके अंतर्गत कर निर्धारक अधिकारी को उन मामलों, जिनमें संवीक्षा हेतु विवरणी का चयन किया गया हो, में विवरण की प्रक्रिया न करके निर्धारण के समय तक विवरण को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। तथापि, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जिन मामलों में कर वापसी की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन कारणों को लिखित में दर्ज करने के पश्चात् उच्चाधिकारी के अनुमोदन से इसे रोका जा सकता है।
- 2.8 यह प्रस्ताव किया जाता है कि कतिपय प्रतिष्ठानों जैसे निवेशक संरक्षण निधि, कोर निपटान गारंटी कोष, चाय/कॉफी/रबड़ बोर्ड, एमपीईडीए अथवा एपीडीईए जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर से छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, को अपनी आय विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

- 2.9 आय विवरण समय पर प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, विवरणी प्रस्तुति में विलम्ब के मामले में शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 2.10 यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि लेखाकार अथवा मर्चेन्ट बैंकर अथवा पंजीकृत मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा प्रमाणपत्र में गलत सूचना देता है, तो उस पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- 2.11 यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 115जख अथवा 115जग के अंतर्गत प्रदत्त कर के लिए विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) की राशि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती द्वारा उसकी आय पर देय कर के लिए स्वीकार्य एफटीसी की राशि से अधिक हो, तो धारा 115जकक अथवा धारा 115जघ के अंतर्गत क्रेडिट राशि की गणना करते समय ऐसे अतिरिक्त क्रेडिट को नजरअंदाज किया जाएगा।
- 2.12 उस मामले में जहां ऐसे कर के भुगतान में विवाद होने के कारण विदेशी कर क्रेडिट निर्धारिती को नहीं दी गई हो, कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे विवाद का निपटारा हो जाने के बाद उक्त कर क्रेडिट को अनुमत करने के लिए निर्धारक अधिकारी को अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है।
- 2.13 यह प्रस्ताव है कि एक दिन में एक लेन देन या एक ही अवसर से संबंधित लेनदेन में कोई भी व्यक्ति तीन लाख रूपए की राशि का भुगतान या कुल भुगतान प्राप्त नहीं करेगा परन्तु खाते में भुगतान चैक के द्वारा या खाते में भुगतान वाले बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के उपयोग से वह प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रतिबंध सरकारी बैंकों या ऐसा अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राप्ति के लिए लागू नहीं होगा। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो इसके लिए दण्ड का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।
- 2.14 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः बंदोबस्ती अधिनियम, 2013 में उचित समुचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार के तहत प्राप्त क्षतिपूर्ति में छूट देने के लिए लागू नहीं होगा।

- 2.15 केवल कॉल सेन्टर के कारोबार में लगे व्यक्ति को किए गए भुगतान के मामले में कर कटौती की दर कम करने का प्रस्ताव है।
- 2.16 प्रस्ताव है कि कंपनी के अधिमान शेयरों को उसी कंपनी के इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले में कर तटस्थता प्रदान की जाए।
- 2.17 प्रस्ताव है कि कर तटस्थ अविलयन में प्राप्त भारतीय कंपनी के शेयर की खरीद की लागत को परिणामी विदेशी कंपनी के हाथ में खरीद की लागत के रूप में लिया जाएगा।
- 2.18 टीडीएस के अधिभुगतान की वापसी के मामले में ब्याज देने का प्रस्ताव है।
- 2.19 सीमा शुल्क के लिए एएआर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के साथ आय के लिए एडवांस रूलिंग प्राधिकरण का विलय करने और सामान्य एएआर बनाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।
- 2.20 न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) के तहत प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित कराने का प्रस्ताव है।
- 2.21 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण से संबंधित शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में करदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को हटाने के लिए निदेशन या अनुदेशन जारी करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.22 न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के प्रयोजन से बुक प्रोफिट की संगणना से संबंधित उपबंधों में संशोधन लाने का प्रस्ताव है ताकि इसे भारतीय लेखाकरण मानकों के समरूप बनाया जा सके।
- 2.23 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि निजी लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंतरण के संबंध में कर की रियायती दर की व्यवस्था वाले आय कर अधिनियम की धारा 112 में वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा किया गया संशोधन निर्धारण वर्ष 2013-14 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।
- 2.24 आय कर अधिनियम की धारा 10कक में संशोधन लाने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि इसके अंतर्गत उल्लिखित कटौती की राशि को उक्त धारा के उपबंधों को लागू करने के पहले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय से अनुमत की जाएगी और यह कि उक्त कटौती कुल आय से अधिक नहीं होगी।

- 2.25 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि चाहे कर में प्रभार योग्य हो या न हो किसी राशि का भुगतान अनिवासी को करने से संबंधित सूचना देने के मामले में "भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" अपने आप भुगतानकर्ता होगा या यदि भुगतान करता कंपनी हो, तो वह उसके मुख्य अधिकारी सहित कंपनी ही होगी।
- 2.26 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि जहां आय कर अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) और 90क के तहत किए गए करार में प्रयुक्त कोई 'शब्द' उक्त करार के तहत परिभाषित किया जाता है, तो उस शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि उक्त करार में दिया गया है और जहां करार में शब्द परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, तो इसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी तकनीकी स्पष्टीकरण में दिया गया है।
- 2.27 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 35कघ में उल्लिखित पूंजी आस्ति अअर्हक कारोबार में प्रयुक्त होती है, और उक्त धारा का लाभ समाप्त किया जाए, तो ऐसी आस्ति के संबंध में निर्धारित के लिए वास्तविक लागत, निर्धारित की वास्तविक लागत होगी, क्योंकि लागू दर पर परिकल्पित मूल्यह्रास की राशि के समतुल्य राशि द्वारा घटाई जाती है, वह अनुमेय हो सकती थी, यदि अपनी अधिप्राप्ति की तारीख से उस राशि का उपयोग कारोबार के प्रयोजनों से किया गया होता।
- 2.28 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि एक न्यास या संस्था, जिसका पंजीकरण किया गया है, और बाद में उद्देश्यों को अपनाया या आशोधित किया है जो पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो उसे नया पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- 2.29 टीसीएस के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कर जमा करने वाला संग्रहणकर्ता के समक्ष अपना पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर उच्च दर पर कर संग्रहण किया जाएगा।
- 2.30 कर्मचारी और स्वरोजगार व्यष्टि के बीच संगतता लाने के लिए यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि स्वरोजगार व्यष्टि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में किए गए अंशदान के संबंध में, अपनी सकल कुल आय का बीस प्रतिशत तक कटौती के लिए अर्हक होगा।

- 2.31 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि प्राधिकृत अधिकारी, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए छह माह की अवधि के लिए अनंतिम रूप से सम्पत्ति की कुर्की कर सकता है। यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है कि सम्पत्ति के एफएमवी के अनुमान के प्रयोजन से मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है।
- 2.32 आयकर के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को उच्चतर अधिकारी का अनुमोदन लिए बगैर किसी पूछ-ताछ के प्रयोजन से सूचना मांगने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.33 आयकर अधिनियम की धारा 133क के उपबंधों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि किसी स्थान को शामिल किया जा सके जहां धर्मार्थ प्रयोजन से क्रियाकलाप किए जा सकें।
- 2.34 सीबीडीटी को, अपने पास उपलब्ध सूचना के सत्यापन, ऐसे दस्तावेजों के प्रक्रियान्वयन और उसके परिणाम निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सूचना और दस्तावेज मांगने के लिए केन्द्रीकृत नोटिस जारी करने के लिए स्कीम बनाने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.35 कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 की धारा 197(ग) को हटाने का प्रस्ताव है, जिसमें आय प्रकटीकरण स्कीम, 2016 के शुरू होने से पहले किसी अवधि से संबंधित अप्रकट आय के निर्धारण के लिए व्यवस्था की गई है। तथापि, तलाशी मामलों में, यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि यदि तलाशी के दौरान कोई स्पृश्य साक्ष्य पाया जाता है, तो निर्धारक अधिकारी जिस वर्ष में तलाशी ली गई थी उससे पूर्ववर्ती दस वर्षों तक आय का निर्धारण कर सकता है।
- 2.36 स्रोत पर कर कटौती उपबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, यह उपबंधित किए जाने का प्रस्ताव है कि अन्य स्रोतों से आय में से किए गए किसी व्यय के संबंध में तब तक किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी जब तक उस पर लागू दरों पर कर की कटौती न की गई हो।
- 2.37 सूचना के स्रोत और सूचना प्रदाता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, यह स्पष्ट किए जाने का प्रस्ताव है कि आयकर प्राधिकारी द्वारा किसी तलाशी अभियान को प्राधिकृत करने या लेखा बाहियों या आस्ति के उपाजन के रूप में

रिकार्ड किए जाने वाले विश्वास के कारणों को किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण को प्रकटित नहीं किया जाएगा।

- 2.38 यह उपबंधित किए जाने का प्रस्ताव है कि समेकित योजना में इकाई के बदले में प्राप्त म्युचुअल फंड योजना की समेकित योजना में इकाई के मामले में, धारिता की वास्तविक लागत और अवधि समेकन योजना में इकाई की धारिता और अवधि होगी।
- 2.39 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 4 के उपबंध को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) को सही संदर्भ किया जा सके।
- 2.40 सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी अभिमुख निधि की सूचीबद्ध ईकाईयों में निवेश के सम्बद्ध में कतिपय व्यक्तियों को अनुमत कटौती के संबद्ध में समापन खंड का उपबंध करने का प्रस्ताव है।
- 2.41 किसी गैर निवासी द्वारा गैर निवासी को रुपया मुद्रांकित बांड के अंतरण से अर्जित होने वाले पूंजीगत लाभों को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

I. शुल्क/कर दरों में परिवर्तन वाले प्रस्ताव:

सीमा शुल्क :

	पण्य	शुल्क दर	
		से	तक
I.	घरेलू मूल्य वर्धन "मेक इन इंडिया" को सुग्राही बनाना		
क.	लागत में कमी लाने के लिए इनपुट और कच्चे माल पर सीमा शुल्क ड्यूटी कम करना		
	खनिज ईंधन और खनिज तेल		
1.	तरल प्राकृतिक गैस	बीसीडी 5%	बीसीडी 2.5%
	रसायन और पेट्रो रसायन		
2.	मध्यम क्वालिटी टेरिफ्थेलिक एसिड (एमटीए) और क्वालिफाइड टेरिफ्थेलिक एसिड (क्यूटीए)	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
	धातुएं		
3.	निकल	बीसीडी.2.5%	बीसीडी-शून्य
	तैयार चर्म		
4.	वनस्पतिक रंगाई एक्सट्रेक्ट्स, नामतः वैटल एक्सट्रेक्ट और मिरोबालन फ्रूट एक्सट्रेक्ट	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 2.5%
	पूंजीगत सामान		
5.	बाल स्कू, लिनियर मोशन गाइड्स एन्ड सीएनजी सिस्टम-सीएनसी मशीन उपकरणों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन	बाल स्कू एवं रेखिक गति गाइड्स बीसीडी 7.5% सीएनसी सिस्टम बीसीडी 10%	बीसीडी 2.5%
	नवीकरणीय ऊर्जा		
6.	देश में स्थापित किए जाने वाली या प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ ईंधन प्रकोष्ठ आधारित विद्युत उत्पादन प्रणालियों हेतु अपेक्षित सभी मर्दे, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन	बीसीडी 10% / 7.5% सीवीडी - 12.5%	बीसीडी 5% सीवीडी 6%
7.	बायोगैस/बायो-मिथेन/बाइ-प्रोजेक्ट हाइड्रोजन पर संचालित संतुलन प्रणालियों हेतु अपेक्षित अन्य मर्दे, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन	बीसीडी 10% / 7.5% सीवीडी 12.5%	बीसीडी 5% सीवीडी 6%
	विविध		
8.	एलईडी लाइटों या फिक्सचरों, एलईडी बल्बों सहित, के विनिर्माण में उपयोग हेतु सभी पुर्जे, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी	बीसीडी 5% सीवीडी 6%

	पण्य	शुल्क दर	
		से	तक
9.	एलईडी लाइटों या फिक्सचरों, एलईडी बल्बों सहित, के लिए एलईडी ड्राइवर तथा एमसीपीसीबी में उपयोग हेतु सभी इनपुट	प्रयोज्य बीसीडी	5%
ख.	कतिपय क्षेत्रों में शुल्क इन्वर्जन की समस्या से निपटने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क/सीवी ड्यूटी में परिवर्तन		
	रसायन और पेट्रोरसायन		
10.	ओ-जाइलीन	बीसीडी 2.5%	बीसीडी शून्य
11.	हाइड्रोजन परोक्साइड ईथर के विनिर्माण में उपयोग हेतु 2-इथेलेन्थाक्विलोन (29146990), वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 2.5%
12.	पोली कार्बोजिलेट ईथर के विनिर्माण में उपयोग हेतु विनाइल पोलिथिलीन ग्लोकोल (वीपीईजी), वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन	बीसीडी 10%	बीसीडी 7.5%
	कपड़ा		
13.	ट्यूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लांग लाइन सिस्टम में उपयोग हेतु नाइलॉन मोनो फिलामेंट यार्न	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
	धातुएं		
14.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यक्षीन निर्दिष्ट टेलीकाम ग्रेड आप्टिकल फाइबर केबल्स के विनिर्माण हेतु को-पॉलीमर कोटेड एमएसटेप्स/स्टेनलैस स्टील टेप्स	बीसीडी शून्य	बीसीडी 10%
15.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यक्षीन सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण में प्रयोग के लिए एमजीओ कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कायल्स (7225 19 90)	बीसीडी 10%	बीसीडी 5%
16.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर हेडिंग 7305 और 7306 के अंतर्गत आने वाले वेल्डिड ट्यूब्स और पाइप्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए हॉट रोल्ड कायल्स (7208)	बीसीडी 12.5%	बीसीडी 10%
	आटोमोबाइल्स		
17.	कैटालाइटिक कन्वर्टर्स के लिए सिरेमिक सबस्ट्रेट के विनिर्माण में प्रयोग हेतु क्ले 2 पावडर (एलुमैक्स)	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
	नवीकरणीय ऊर्जा		
18.	सोलर सेल्स/पैनल्स/माड्यूल्स के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सोलर टेम्पर्ड ग्लास	बीसीडी 5%	बीसीडी शून्य
19.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन सोलर फोटोवाल्टिक सेल्स/माड्यूल्स, सोलर पावर	सीवीडी 12.5%	सीवीडी 6%

	पण्य	शुल्क दर	
		से	तक
	जनरेटिंग इक्विपमेंट अथवा प्रणालियों, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, सोलर फोटोवोल्टिक माड्यूल और वाटर पंपिंग और अन्य प्रयोगों हेतु पेनल के लिए पार्टस/कच्चा माल		
20.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन विंड आपरेडिट एनर्जी जनरेटर्स (डब्ल्यूओइजी) के लिए कास्ट कंपोनेंट्स के विनिर्माण में प्रयोग हेतु रेसिन और केटालिस्ट	बीसीडी 7.5% सीवीडी 12.5% एसएडी 4%	बीसीडी 5% सीवीडी शून्य एसएडी शून्य
	विविध		
21.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन हाउसहोल्ड टाइप फिल्टर्स हेतु आरओ मेंबरेन एलीमेंट के विनिर्माण में प्रयोग हेतु मेंबरेन शीट और ट्राइकोट/स्पेसर	सीवीडी 12.5%	सीवीडी 6%
ग.	घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण देने के लिए सीमाशुल्क में परिवर्तन		
	खाद्य प्रसंस्करण		
22.	काजू, भुना नमकीन अथवा भुना और नमकीन	बीसीडी 30%	बीसीडी 45%
	इलेक्ट्रानिक्स / हार्डवेयर		
23.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन, मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु पापुलेटिड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	एसएडी शून्य	एसएडी 2%
	विविध		
24.	घरेलू टाइप के फिल्टर्स हेतु आरओ मेंबरेन एलीमेंट	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 10%
घ.	कैशलेस लेनदेनों को बढ़ावा देना और उनके लिए प्रयोग होने वाले साधनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना		
25.	क) एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिंगर प्रिंट रीडर/स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी शून्य
26.	निम्न के विनिर्माण हेतु कलपुर्जे : क) एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिंगर प्रिंट रीडर/स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी शून्य

	पण्य	शुल्क दर		
		से	तक	
II.	घरेलू संसाधनों के परिरक्षण हेतु निर्यात शुल्क लगाना			
	27.	लेटराइट सहित अन्य एल्युमिनियम अयस्क	शून्य	15%
III.	ईज आफ डुइंग बिजनेस में सुधार करना और निर्यात संवर्धन			
	28.	पार्सलों, पैकेटों और पत्रों के जरिए आयातित वस्तुओं के लिए डी-मिनिमिस सीमाशुल्क छूट	प्रति सामान 100 रुपए से अधिक शुल्क देय नहीं	प्रति सामान 1000 रुपए से अधिक सीआईएफ मूल्य नहीं
	29.	निर्यात के लिए कथित माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु चमड़े के जूते अथवा सिथेटिक फुटवियर अथवा अन्य चमड़ा उत्पादों के विनिर्माण हेतु पात्र मर्दों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा	पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की गई कथित वस्तुओं के एफओबी मूल्य का 3%	पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की गई कथित वस्तुओं के एफओबी मूल्य का 5%
IV.	करवंचन-रोधी उपाय			
	30.	99.9% से नीचे नहीं के सिल्वर कंटेनर वाले सिल्वर मेडल, सिल्वर के सिक्के और सिल्वर का अर्ध-निर्मित रूप	सीवीडी शून्य	सीवीडी 12.5%

टिप्पणी: (क) "बुनियादी सीमा शुल्क" का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत लगाया गया सीमाशुल्क।

- (ख) "सीवीडी " का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लगाया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क।
- (ग) "एसएडी" का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत लगाया गया सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।
- (घ) "निर्यात शुल्क" का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रभार्य सीमा शुल्क।

उत्पाद शुल्क

	पण्य	शुल्क की दर		
		से	तक	
I.	जन स्वास्थ्य			
क.	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद			
	1.	सिगार और चिरुट	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	2.	सिगारिलोस	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	3.	तंबाकू रहित सिगरेट	प्रति हजार 3755 हजार रुपये	प्रति हजार 4006 हजार रुपये
	4.	तंबाकू रहित सिगारिल्लो	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	5.	तंबाकू रहित अन्य	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	6.	पेपर रोल बीड़ी - हस्त निर्मित	प्रति हजार 21 रुपये	प्रति हजार 28 रुपये
	7.	पेपर रोल बीड़ी - मशीन निर्मित	प्रति हजार 21 रुपये	प्रति हजार 78 रुपये
II.	घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन, "मेक इन इंडिया"			
क.	नवीकरणीय ऊर्जा			
	8.	बायोगैस/बायोमिथेन/उप-उत्पादक हायड्रोजन पर सिस्टम आपरेटिंग के संतुलन के लिए अपेक्षित सभी वस्तुएं	12.5%	6%
ख. विविध				
	9.	घरेलू फिल्टरों के लिए आरओ मेम्ब्रेन तत्व के विनिर्माण में प्रयोग के लिए मेम्ब्रेन शीट और ट्राइकोट/स्पेसर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन	12.5 प्रतिशत	6 प्रतिशत
	10.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन एलईडी लैम्पों सहित एलईएडी लाइट अथवा फिक्स्चर के विनिर्माण के लिए सभी पुर्जे	प्रयोज्य शुल्क	6 प्रतिशत
	11.	क. अध्याय 71 में आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न कीमती धातुओं के कबाड़ अथवा कीमती धातुओं में लिपटी धातुएं	शून्य	शून्य, इस शर्त के अध्याधीन कि ऐसी वस्तुओं के विनिर्माता द्वारा निविष्टियों अथवा निविष्टि सेवाओं या पूंजीगत वस्तुओं पर कोई शुल्क क्रेडिट नहीं किया है।

	पण्य	शुल्क की दर	
		से	तक
	<p>ख. स्ट्रिप्स, वायर्स, प्लेट्स और सिल्वर फॉयल</p> <p>ग. हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़े के अलावा सिल्वर आभूषणों के सामान</p> <p>घ. 99.9% और इससे अधिक शुद्धता वाले चांदी के सिक्के जिनका ब्रांड नाम है और चांदी से निर्मित हैं, जिन पर सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अदा किया गया है।</p>		
III. कैशलेस लेनदेनों को प्रोत्साहन और इसके लिए प्रयुक्त उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना			
12.	<p>क) एम-पीओएस हेतु मिनिएचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं)</p> <p>ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम</p> <p>ग) फिंगर प्रिंट रीडर/ स्केनर, और</p> <p>घ) आइरस स्केनर</p>	प्रयोज्य शुल्क	शून्य
13.	<p>निम्न के विनिर्माण हेतु कलपुर्जे:</p> <p>क) एम-पीओएस हेतु मिनिएचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं)</p> <p>ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम</p> <p>ग) फिंगर प्रिंट रीडर/ स्केनर, और</p> <p>घ) आइरस स्केनर</p>	प्रयोज्य शुल्क	शून्य

टिप्पणी: "बुनियादी उत्पाद शुल्क" का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची में दिया गया उत्पाद शुल्क है।

वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अंतर्गत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की दर में परिवर्तन

	पण्य	शुल्क दर	
		से	तक
क.	पान मसाला		
	1.	पान मसाला	6% 9%
ख.	तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद		
	2.	अविनिर्मित तंबाकू	4.2% 8.3%
	3.	65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 215 रुपये 311 रुपये
	4.	65 मि.मी. से अधिक किन्तु 70 मि.मी. से अधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 370 रुपये 541 रुपये
	5.	65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई के फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 215 रुपये 311 रुपये
	6.	65 मि.मी. से अधिक किन्तु 70 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 260 रुपये 386 रुपये
	7.	70 मि.मी. से अधिक किन्तु 75 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 370 रुपये 541 रुपये
	8.	अन्य सिगरेट	प्रति हजार 560 रुपये 811 रुपये
	9.	चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित)	6% 12%
	10.	जर्दा की खुशबूवाला तंबाकू	6% 12%
	11.	तंबाकू वाला पान मसाला (गुटखा)	6% 12%

सेवा कर

क्र. सं.	परिवर्तन	मौसूदा	प्रस्तावित
क.	संघ के सशस्त्र बलों को सेवा कर से राहत		
1.	केंद्र सरकार की समूह बीमा योजनाओं के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा के माध्यम से थल सेना, नौसेना और वायुसेना समूह बीमा निधियों द्वारा प्रदत्त या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं को 10 सितंबर, 2004 (वह तारीख जब जीवन बीमा की सेवाएं कर योग्य हुईं) से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
ख.	विवाद समाधान, कराधान की निश्चितता और अभियोजन का परिहार		
1.	अधिसूचना सं.41/2016-एसटी दिनांक 22.09.2016, जिसमें राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगमों/उपक्रमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लॉटों का दीर्घावधिक पट्टा (30 वर्ष या अधिक) प्रदान करने के लिए देय सेवा कर, एक बारगी अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या किसी भी नाम से पुकारा जाए, कहा जाता है) से छूट दी गई है, को 1.6.2007 (वह तारीख जब अचल संपत्ति को किराये पर देने संबंधी सेवाएं कर योग्य हुईं) से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।	14%	शून्य
2.	सेवा कर (मूल का निर्धारण) नियम 2006 के नियम 2क को 01.07.2010 से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वस्तुओं और भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से जैसा भी मामलो हो, के अंतरण को समाहित करने वाली निर्माण-कार्य संबंधी संविदा के निष्पादन में सेवा के हिस्से के मूल्य में ऐसी भूमि में संपत्ति या भूमि के अविभाजित हिस्से का मूल्य शामिल नहीं होगा।	4.2%	4.2%
ग.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का संवर्द्धन		
1.	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आसीएस) के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के प्रचालनों को प्रारंभ करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस एयरपोर्ट से	14%	शून्य

	प्रारंभ या समाप्त होने वाली वायु मार्ग द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइन प्रचालन को देय अर्थक्षमता अंतर विधियन (वीजीएफ) की राशि के संबंध में प्रदान किए जा रहे सेवा कर से छूट।		
घ.	उपायों का यौक्तिकीकरण		
1.	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु प्रबंधन में दो पूर्ण वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थानों, जिनमें दाखिले आईआईएम द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के आधार पर किए जाते हैं, द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में छूट को गैर-आवासीय कार्यक्रमों को भी शामिल करते हुए इन तक विस्तारित किया जा रहा है।	14%	शून्य
2.	सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के स्पष्टीकरण-1(ड) को संशोधित किया जा रहा है ताकि जमाराशियां, ऋण और अग्रिम के माध्यम से सेवाएं मुहैया कराने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा जा सके।		
3.	वित्त अधिनियम, 1994 में "मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉलिक शराब को छोड़ते हुए वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के समतुल्य किसी प्रक्रिया के निष्पादन के माध्यम से उत्पन्न सेवाओं" के संबंध में नकारात्मक सूची संबंधी प्रविष्टि को हटाए जाने और इसके बदले छूट अधिसूचना में रखे जाने का प्रस्ताव है। परिणामतः वित्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड (40), जिसमें "विनिर्माण के समतुल्य प्रक्रिया" को परिभाषित किया गया है, को भी हटाए जाने और इसके बदले छूट अधिसूचना में रखे जाने का भी प्रस्ताव है।	शून्य	शून्य

सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन

क्र. सं.	संशोधन
क.	संशोधन जिनसे शुल्क की दरें प्रभावित नहीं हैं:-
1.	निम्नलिखित संशोधन निष्पादित किए गए: (i) गुआर मील और इसके उत्पादों के संबंध में प्रशुल्क मर्दे 1302 32 10 और 1302 32 20 और इससे संबंध प्रविष्टियों को हटाएं और नई प्रशुल्क मर्दों 1106 10 10 और 1106 10 90, को सृजित करें ताकि सीमा शुल्क प्रशुल्क को एचएस नामावली से सुमेलित किया जा सके।

क्र. सं.	संशोधन
	<p>(ii) परिशोधित विरंजित (ब्लीचड) निर्गंधीकृत पाम स्टीयरिन के लिए नई प्रशुल्क मद 1511 90 30 को सृजित करें ताकि सीमा शुल्क प्रशुल्क को डब्ल्यूसीओ वर्गीकरण निर्णय के अनुसार सुमेलित किया जा सके।</p> <p>(iii) प्रशुल्क मदों 3823 11 11 से 3823 11 90 तक और इससे संबद्ध प्रविष्टियों को प्रशुल्क मद 3823 11 00 से प्रतिस्थापित करें।</p> <p>(iv) प्रशुल्क मदों 3904 10 10 से 3904 22 90 तक प्रशुल्क मदें 3904 10 10 से 3904 22 00 के स्थान पर पीवीसी रेसिन के संबंध में प्रतिस्थापित करें।</p>
2.	<p>अध्याय 98 का अध्याय नोट(4) को संशोधित किया जा रहा है ताकि कूरियर सेवा के माध्यम से आयातित वस्तुओं पर 9803 और 9804 शीर्षों की गैर-प्रयोज्यता को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 9804 शीर्ष को संशोधित किया जा रहा है ताकि इस शीर्ष के तहत कूरियर, समुद्र या भूमि के माध्यम से व्यक्तिगत आयातों के वर्गीकरण को बढ़ाया जा सके।</p>